



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 ई० (आश्विन 26, 1947 शक संवत्) [संख्या 42

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	541—546	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1043—1050	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1579-1653	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

21 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 I/940683/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री दिनेश कुमार मिश्र, अपर आयुक्त ग्रेड-1, बरेली जोन बरेली को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन-10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940684/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती वंदना सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-1, इटावा जोन इटावा को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन-10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ 3, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940686/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रमोद कुमार चौधरी, राज्य कर अधिकारी, खंड 1, गोरखपुर को सहायक आयुक्त (ग्रेड वेतन-5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई 8, गाजियाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940690/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती शिखा सिंह, राज्य कर अधिकारी, उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज को सहायक आयुक्त (ग्रेड वेतन-5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई 5, नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

कार्यालय ज्ञाप

सं0 I/940693/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री चन्द्र भूषण डुंगराकोटी, उपायुक्त, खंड 5, मुजफ्फरनगर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खंड 9, वाराणसी प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

नियुक्ति/तैनाती

सं0 I/940695/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री बृजेश कुमार मिश्र, अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर सम्प्रति संयुक्त सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन-8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर एतद्वारा यथावत तैनात किया जाता है।

कार्यालय ज्ञाप

सं० I/940697/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री मुकेश आनंद पाण्डेय, उपायुक्त, खंड-1, मुरादाबाद को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खंड-2, गाज़ियाबाद प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940699/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री मृत्युंजय कुमार राय, उपायुक्त, खंड-4, गोरखपुर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, वि०अनु०शा०, सीतापुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940700/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश कुमार सिंह-1, उपायुक्त, वि०अनु०शा० रेंज ए, अलीगढ़ को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि-2, लखनऊ प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940702/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री विकास सागर, उपायुक्त, खंड 1, मऊनाथ भंजन को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खंड 2, चंदौली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940703/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री राज नाथ तिवारी, उपायुक्त, वि०अनु०शा०, मऊनाथ भंजन को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खंड-1, लखीमपुर खीरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940705/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अजित कुमार सिंह-2, उपायुक्त, खंड 9, सहारनपुर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, वि०अनु०शा० रेंज ए, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940706/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री पारस भान सिंह, उपायुक्त, खंड-1, मिर्जापुर को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, खंड-10, मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/940707/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री राज कुमार कुरील, उपायुक्त, खंड 13, वाराणसी प्रथम को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उपायुक्त, वि०अनु०शा० रेंज बी, सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

नियुक्ति/तैनाती

सं0 I/940708/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री सुभाष चन्द्र-II, सहायक आयुक्त, खंड-8, गोरखपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, वि0अनु0शा0 रेंज बी, आगरा के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940709/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री वीर सिंह, सहायक आयुक्त, वि0अनु0शा0 रेंज बी, सहारनपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त (कर वसूली/कर निर्धारण), वाराणसी प्रथम के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940710/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री महेश चन्द्र, सहायक आयुक्त, खंड 5, सहारनपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त (कर वसूली/कर निर्धारण), झाँसी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940711/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री जितेन्द्र कुमार रमन, सहायक आयुक्त, वि0अनु0शा0 रेंज बी, गोरखपुर को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त (कर वसूली/कर निर्धारण), मेरठ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940712/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार-IX, सहायक आयुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि-1, झाँसी को उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, टैक्स ऑडिट, गोरखपुर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940713/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार कन्नौजिया-II, उपायुक्त खंड 28, कानपुर को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कॉर्पोरेट सेल, कानपुर प्रथम के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940714/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री दिनेश पाल, उपायुक्त खंड-1, वाराणसी को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, ग्रेटर नोएडा के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940715/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपायुक्त, उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, मुरादाबाद संभाग-बी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940716/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अमर जीत राम, उपायुक्त, वि0अनु0शा0 गोंडा को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, वाराणसी संभाग-ए के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940717/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती दीप्ति कटियार, संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, ग्रेटर नोएडा को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड वेतन-8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, वि0अनु0शा0 वाराणसी-प्रथम के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940718/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री आशीष निरंजन, संयुक्त आयुक्त, टैक्स ऑडिट, वाराणसी द्वितीय को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड वेतन-8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, वि0अनु0शा0 बरेली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940720/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री पारस नाथ यादव, संयुक्त आयुक्त, कॉर्पोरेट सेल, कानपुर प्रथम को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड वेतन-8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील-द्वितीय, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940721/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र कुमार द्विवेदी, उपायुक्त, खंड-2, बरेली को संयुक्त आयुक्त (ग्रेड वेतन-7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, वि0अनु0शा0, वाराणसी रेंज सी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/940722/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री हृषिकेश प्रताप राव दीक्षित, अपर आयुक्त ग्रेड-2, वि0अनु0शा0 बरेली को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन-8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, इटावा जोन इटावा के पद पर एतद्वारा यथावत तैनात किया जाता है।

सं0 I/940723/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री आनन्द कुमार सिंह-I, अपर आयुक्त ग्रेड-2, वि0अनु0शा0 वाराणसी प्रथम को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन-8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, वाराणसी प्रथम जोन वाराणसी के पद पर एतद्वारा यथावत तैनात किया जाता है।

सं0 I/940724/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री ओम प्रकाश तिवारी, अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील प्रथम, प्रयागराज को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन-8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, बरेली जोन बरेली के पद पर एतद्वारा यथावत तैनात किया जाता है।

सं0 I/940725/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री विजय बहादुर, सहायक आयुक्त, सरधना, मेरठ उनके कनिष्ठ श्री कुलदीप ज्ञानी की उपायुक्त के पद पर पदोन्नति की तिथि 21 फरवरी, 2025 से उपायुक्त (ग्रेड वेतन-6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर नोशनल पदोन्नति व कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, टैक्स ऑडिट, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
श्याम प्रकाश नारायण,
विशेष सचिव



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 26, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

सिंचाई विभाग

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

08 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 627-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत मनोहरपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम भाडरी में कुल 0.2032 है० व हरयाना माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम खरगपुर में कुल 0.0780 है० एवं सब्जीपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद, परगना मुरादाबाद, ग्राम महलकपुर माफी में कुल 0.0280 है०, भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 628/दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 01 फरवरी, 2025 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर बिलारी, मुरादाबाद को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम भांडरी में कुल 0.2032 है0 व जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम खरगपुर में कुल 0.0780 है0 एवं जनपद मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद, परगना मुरादाबाद, ग्राम महलकपुर माफी में कुल 0.0280 है0, भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु मुरादाबाद कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	भांडरी	359	0.0096
"	"	"	"	371	0.1936
				योग. .	0.2032
			खरगपुर	56	0.0780
				योग. .	0.0780
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	महलकपुर माफी	312	0.0280
				योग. .	0.0280
				कुल योग. .	0.3092

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

—विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"—

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत मनोहरपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम भाडरी में कुल 0.2032 है० व हरयाना माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम खरगपुर में कुल 0.0780 है० एवं सब्जीपुर माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद, परगना मुरादाबाद, ग्राम महलकपुर माफी में कुल 0.0280 है०, भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या.....दिनांक.....के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

.....

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(ह०) अस्पष्ट
कलेक्टर, मुरादाबाद।

IRRIGATION DEPARTMENT

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION-19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

September 08, 2025

No. 627—Whereas Preliminary notification no. 628/date 18 December, 2024 was issued under Sub-section (1) of section-II of the right to fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.2032 hectares of land in Village-Bhandri, Pargana-Kundarki, Tehsil Bilari, District-Moradabad & 0.780 hectares of land in Village-Kharagpur, Pargana-Kundarki, Tehsil Bilari, District-Moradabad & 0.0280 hectares of land in Village-Mahalakpur Mafi, Pargana-Moradabad, Tehsil-Moradabad, District-Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body and laity published on dated 01 February, 2025 The Deputy Collector Bilari was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.2032 hectares of land in Village-Bhandri, Pargana-Kundarki, Tehsil-Bilari, District-Moradabad & 0.780 hectares of land in Village Kharagpur, Pargana Kundarki, Tehsil Bilari, District Moradabad & 0.0280 hectares of land in Village-Mahalakpur Mafi, Pargana-Moradabad, Tehsil-Moradabad, District Moradabad as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Moradabad to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Moradabad	Bilari	Kundarki	Bhandri	359	0.0096
"	"	"	"	371	0.1936
Total. .					0.2032
Moradabad	Bilari	Kundarki	Kharagpur	56	0.0780
Moradabad	Bilari	Kundarki	Mahalakpur Mafi	312	0.0280
Grand Total. .					0.3092

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					(In Hectares)

					Nil ----

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE/ACT]

U.P Irrigation Department EE MGCCD-6, Meerut By the order of declaration made under Government notification no. date for 0.2032 hectares of land in Village Bhandri, Pargana-Kundarki, Tehsil-Bilari, District-Moradabad & 0.780 hectares of land in Village Kharagpur, Pargana-Kundarki, Tehsil-Bilari, District-Moradabad & 0.0280 hectares of land in Village Mahalakpur Mafi, Pargana Moradabad, Tehsil Moradabad, district Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

.....
NOTE- The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

By Order,
 Collector.

सिंचाई विभाग

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा (अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

08 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 628—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत पांडिया माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम गुरैर में कुल 0.2809 है0, भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 629/दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 01 फरवरी, 2025 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर बिलारी, को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम गुरैर में कुल 0.2809 है0, भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु मुरादाबाद कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर—
मुरादाबाद	बिलारी	कुन्दरकी	गुरैर	1291	0.0600
"	"	"	"	167	0.1234
"	"	"	"	162	0.0260
"	"	"	"	208	0.0715
योग .					0.2809

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

—विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”—

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।**कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना**

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत पांडिया माईनर के निर्माण हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्राम गुरैर में कुल 0.2809 है०, भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या दिनांक के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

.....

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(ह०) अस्पष्ट,
कलेक्टर, मुरादाबाद।

IRRIGATION DEPARTMENT

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

September 08, 2025

No. 628— Whereas Preliminary notification no. 629/date 18.12.2024 was issued under sub-section (1) of section II of the right to fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.2809 hectares of land in Village Gurer, Pargana Kundarki, Tehsil Bilari, district Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though

Canal Construction (name of requiring body and laity published on dated 01.02.2025 The Deputy Collector Bilari was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and reserment of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.2809 hectares of land in in Village Gurer, Pargana Kundarki, Tehsil Bilari, district Moradabad as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Moradabad to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Moradabad	Bilari	Kundarki	Gurer	1291	0.0600
"	"	"	"	167	0.1234
"	"	"	"	162	0.0260
"	"	"	"	208	0.0715
Total. .					0.2809

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for Rehabilitation (In Hectares)
1	2	3	4	5	6
---Nil---					

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE/ACT]

U.P Irrigation Department EE MGCCD-6, Meerut By the Order of declaration made under Government notification no. date for 0.2809 hectares of land in Village Gurer, Pargana Kundarki, Tehsil Bilari, District-Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

.....

Note : The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

By Order

Collector.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 26, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्

(उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन)

सूचना

08 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 1122/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-(पत्रावली-02)-जनपद चित्रकूट की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद चित्रकूट में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, चित्रकूट प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत है-

पूर्व दिशा-मौजा ग्राम गोबरिया व तहसील-कर्वी, जिला-चित्रकूट के खसरा सं०-07, 10, 15 एवं मौजा ग्राम रानीपुर भट्ट व तहसील-कर्वी, जिला- चित्रकूट के खसरा सं०- 258, 257, 256

पश्चिम दिशा-मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील-कर्वी, जिला-चित्रकूट के खसरा सं०-150, 129, 145, 146, 167, 141, 140, 139

उत्तर दिशा—मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0—151, 152, 153, 157, 160, 159, 196, 203, 202, 201 एवं मौजा ग्राम अहमद गंज व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0—281, 291, 279, 275, 274, 327, 328, 330, 315 (भाग), 333, 334, 378, 380, 381, 382, 369, 370, 368

दक्षिण दिशा—मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0— 170 (भाग), 174 (भाग) 173 (भाग) 176 183(भाग) 182 (भाग) 181 (भाग) 180 (भाग) 227 (भाग) 228 (भाग) 229 (भाग) 219 (भाग) 220 (भाग) 235 237 (भाग), 238 (भाग) एवं मौजा ग्राम अहमद गंज व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0— 300 286 (भाग), 299 (भाग) 287 (भाग) 288(भाग) 298 (भाग) 319 (भाग), 315 (भाग) 311 तथा मौजा ग्राम रानीपुर भट्ट व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0— 250, 251, 252, 255, 35, 39 यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा। योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भू—स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, चित्रकूट एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही—सही अंकित होना चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Land Acquisition Section]

[Notice Under Section-28 of the Uttar Pradesh Awam Evam
Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act. No. 1 of 1966)]

NOTICE

September 08, 2025

No. 1122/L.A.C./H.Q.(File No.-02)—The U.P. Awam Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Bhoomi Vikas Evam Grihsthan yojna No.-2, Chitrakoot with a view to solve the acute housing problem of Chitrakoot city.

The Boundary of the Area Comprised in the scheme are as follows:-

East- Village Gobariya, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 07,10,15 and Village Ranipur Bhatt, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 258, 257, 256.

West- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 150, 129, 145, 146, 167, 141, 140, 139

North- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. -151, 152, 153, 157, 160, 159, 196, 203, 202, 201 and Village Ahamad Ganj Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 281, 291, 279, 275, 274, 327, 328, 330, 315 (Part), 333, 334, 378, 380, 381, 382, 369, 370, 368

South- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 170 (Part), 174 (Part), 173 (Part), 176, 183 (Part), 182 (Part), 181(Part), 180 (Part), 227 (Part), 228 (Part), 229 (Part), 219 (Part), 220 (Part), 235, 237 (Part), 238 (Part) and Village Ahamad Ganj Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 300, 286 (Part), 299 (Part), 287 (Part), 288 (Part), 298 (Part), 319 (Part), 315 (Part), 311 and Village Ranipur Bhatt, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 250, 251, 252, 255, 35, 39

It is also declared that on the execution of the housing and Development Scheme aforesaid, any land in that area comprised in the scheme which may not be required for execution there of will in the opinion of the board be increased in V value "Betterment Fee" in accordance with provision of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam shall be payable by owner of the land or by any person having an intrest there in respect of increased in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of area Particular of the scheme and detail of land proposed to be acquired may be seen at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow, office of the Executive Engineer, Construction Division Bundelkhand-02, Banda or Collectorate Compound Banda on any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow, Office of the Executive Engineer Construction Division Bundelkhand-02 Banda or Collectorate Compound Banda by at the date within 30 days form the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette. Correct Name of the Scheme and full Particular of the land/building of the objector with in the scheme and, name of Village, khasra No. area etc. should be clearly mentioned in every objection.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
(उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965
(उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन)

सूचना

16 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 1170/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-(पत्रावली-02)-जनपद बाँदा की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद बाँदा में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, बाँदा प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत है:-

पूर्व दिशा-मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील-बाँदा, जिला-बाँदा के खसरा सं०-3806, 3815, 3666, 3630(भाग) एवं 3721(भाग)

पश्चिम दिशा-मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील-बाँदा, बाँदा-चिल्ला-कानपुर मार्ग खसरा सं०-3276

उत्तर दिशा—बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वें की सर्विस लेन से लगे खसरो की भूमि का विवरण—मौजा ग्राम मवई बुरुग व तहसील—बाँदा, जिला—बाँदा के खसरा सं०— 4196 (भाग) 4194 (भाग) 3863 (भाग) 3862 (भाग) 3519 (भाग) 3473 (भाग) 3474 (भाग) 3475 (भाग) 3476 (भाग) 3489 (भाग) 3488 (भाग) 3487 (भाग) 3486 (भाग) 3485 (भाग) 3481 (भाग) 3482 (भाग) 3539 (भाग) 3540 (भाग) 3578 (भाग), 3711 (भाग) 3709 (भाग), 3708 (भाग), 3707 (भाग), 3704 (भाग) 3699 (भाग) 3686 (भाग) 3685 (भाग) 3684 (भाग) 3705 (भाग) 3597 (भाग) 3598 (भाग) 3599 (भाग) 3600 (भाग) 3610 (भाग) 3629 (भाग) 3630 (भाग)

दक्षिण दिशा—मौजा ग्राम मवई बुरुग व तहसील—बाँदा, जिला—बाँदा के खसरा सं०— 4215, 4216, 4219, 4221, 4222, 4223, 4147, 4146, 4145, 4144, 4143—3862 (भाग), 3863 (भाग)

प्रस्तावित योजना से जल निकासी हेतु चयनित नाले तक के खसरों का विवरण—मौजा ग्राम मवई बुरुग व तहसील—बाँदा, जिला—बाँदा के खसरा सं०— 1305(भाग), 1303(भाग), 1339(भाग), 1344(भाग), 1345(भाग), 1346(भाग), 1367(भाग), 1368(भाग), 1301(भाग), 1277(भाग), 1276(भाग), 1270(भाग), 1269(भाग), 1270(भाग), 1269(भाग), 1148(भाग), 1156(भाग), 1155(भाग), 1157(भाग), 1154(भाग), 1208(भाग), 1210(भाग), 1221(भाग), 1220(भाग), 1228(भाग), 1218(भाग), 1219(भाग), 1192(नाला),

यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा। योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भू-स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बाँदा में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ०प्र० गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बाँदा में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही—सही अंकित होना चाहिये।

डा० बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Land Acquisition Section]

[Notice Under Section-28 of the Uttar Pradesh Awam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act. No. 1 of 1966)]

NOTICE

September 16, 2025

No. 1170/L.A.C./H.Q.—The U.P. Awam Vikas Parishad has framed a scheme called Bhoomi Vikas Evam Grihsthan yojna No.-2, Banda with a view to solve the acute housing problem of Banda city.

The Boundary of the Area Comprised in the scheme are as follows:-

East- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda, Khasra no. 3806, 3815, 3666, 3630(Part) and 3721(Part)

West- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, Banda Chilla- Kanpur Road- Khasra No. 3276

North- Land Details of Khasra's sharing boundary with service lane of Bundelkhand Expressway-Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda, Khasra no. – 4196(Part), 4194(Part), 3863(Part), 3862(Part), 3519(Part), 3473(Part), 3474(Part), 3475 (Part), 3476(Part), 3489(Part), 3488(Part), 3487(Part), 3486(Part), 3485(Part), 3481(Part), 3482(Part), 3539(Part), 3540(Part), 3578(Part), 3711(Part)] 3709(Part), 3708(Part), 3707(Part), 3704(Part), 3699(Part), 3686(Part), 3685(Part), 3684(Part), 3705(Part), 3597(Part), 3598(Part), 3599(Part), 3600(Part), 3610(Part), 3629(Part), 3630(Part)

South- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda Khasra no.- 4215, 4216, 4219, 4221, 4222, 4223, 4147, 4146, 4145, 4144, 4143, 3862 (Part), 3863(Part),

Details of all the khasres from the proposed scheme to indentified nala for water disposal:-
Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda Khasra no.- 1305(Part), 1303(Part), 1339(Part), 1344(Part), 1345(Part), 1346(Part), 1367(Part), 1368(Part), 1301(Part), 1277(Part), 1276(Part), 1270(Part), 1269(Part), 1148(Part), 1156(Part), 1155(Part), 1157(Part), 1154(Part), 1208(Part), 1210(Part), 1221(Part), 1220(Part), 1228(Part), 1218(Part), 1219(Part), 1192(Nala),

It is also declared that on the execution of the Housing and Development Scheme aforesaid, any land in that area comprised in the scheme which may not be required for execution there of will in the opinion of the board be increased in V value “Betterment Fee” in accordance with provision of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam shall be payable by owner of the land or by any person having an intrest there in respect of increased in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of area Particular of the scheme and detail of land proposed to be acquired may be seen at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow, Office of the Executive Engineer, Construction Division Bundel khand-02, Banda or Collectorate Compound Banda on any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahtma Gandhi Marg Lucknow, Office of the Executive Engineer Construction Division Bundelkhand-02 Banda or Collectorate Compound Banda by at the date within 30 days form the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette. Correct Name of the Scheme and full Particular of the land/building of the objector with in the scheme and, name of Village, khasra No. area etc. should be clearly mentioned in every objection.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, उरई, जालौन

उपविधि

01 जुलाई, 2025 ई0

सं0 616/ फीकल स्लज एवं सेप्टेज/न0पा0परि0 उरई/(2024-25)-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद, उरई जनपद-जालौन के द्वारा जनहित/शासकीय हित में “नगर पालिका परिषद, उरई जनपद-जालौन की विविध उपविधि नियमावली 2023” बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 01 उपविधि सम्मिलित है का विवरण निम्नानुसार है“(1) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2023

उपरोक्त प्रस्तावित “नगर पालिका परिषद, उरई जनपद-जालौन की विविध उपविधि नियमावली 2023” उपरोक्त विषय को बोर्ड बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा परस्पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा नगर पालिका परिषद, उरई जनपद-जालौन के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। उपरोक्त प्रस्तावित विविध उपविधि नियमावली 2023 को नियमानुसार जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला व दैनिक आज में दिनांक 12 नवम्बर, 2024 को सार्वजनिक प्रकाशन कराकर निर्धारित अवधि में आपत्तियों एवं सुझावों प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया गया था। नियत समय में कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के कारण उक्त बोर्ड बैठक दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 में प्रस्ताव संख्या-09 के द्वारा उक्त उपविधि को अंतिम गजट प्रकाशन कराकर लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके क्रम में उपरोक्त उपविधि को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जा रहा है एवं उक्त उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से पालिका सीमान्तर्गत लागू होगी।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद, उरई के प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाबदेह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजन या निकाय के भवनों पर लागू होगा।

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षेप- शीर्षक, विस्तार और आरंभ

- (i). इन उपविधियों को नगर पालिका परिषद, उरई फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2023 कहा जायेगा।
- (ii). ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद, उरई में क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परिसीमा के अन्दर लागू होगी।

2. परिभाषाएँ-

- (i). “फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)” का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुवारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;
- (ii). “को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी” का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है।
- (iii). “ऑनसाइड सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)” ऐसी स्वच्छता प्रणाली है। जो पूरी तरह से निजी/व्यवसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खंड पर स्थित होता है। आमतौर पर भू-खंड पर स्वच्छता ‘घरेलू

शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं।

- (iv). "ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।
- (v). "शेडयूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वस्थ एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।
- (vi). "सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।
- (vii). "सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

अध्याय- II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण—

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही(जिसमें मौजूद या प्रस्तावित, आवासीय और व्यवसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है। अर्थात्;

- (i). यदि घर की सीमा से 30 मीटर दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर सीवर कनेक्शन घर तक, जा सकता है या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिये कोई शुल्क अथवा कोई ओर जरूरत के अनुसार प्रक्रिया करा कर करें।
- (ii). अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।
- (iii). यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या दिवन-पिन या सोक-पिन या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 से 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती है।
- (iv). वे परिसर संपत्तियां जिनके परिसर के भीतर 2000 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक खुला क्षेत्र है तो उसमें एक विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाये ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/पलशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी का निर्भरता कम हो सकें।

अध्याय- III

ऑनसाइड स्वच्छता प्रणालियां

4. ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

- (i). ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना आईएस कोड 2470 भाग 1 से 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा या इसके समय-समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद, उर्ई या सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया है।

- (ii). ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओ0एस0एस0 से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (iii). परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा।
- (iv). परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।
- (v). परिसर का मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद, उरई के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

अध्याय— IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

5. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

- (i). नगर पालिका परिषद, उरई वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएं प्रदान करने वाली निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।
- (ii). नगर पालिका परिषद, उरई अपने कर्मियों सहित ऑपरेटर के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियां करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।
- (iii). जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2-महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- (iv). नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा ऑपरेटरों को अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
- (v). इन विनियमों के फॉर्म 2 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

6. लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड/शर्तें—

- (i). लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र, आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के अनुसार परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।
- (ii). आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिड़काव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।
- (iii). उरई में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा।
- (iv). आवेदन अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका उरई के साथ पंजीकृत करेगा।
- (v). आवेदक का यह उत्तर दायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/ किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के दिए गए मानदंडों को पूरी करते हैं।

(vi). आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद, उरई या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है।

(vii). आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक है। जरूरी पीपीई इस उपविधि के अनुसार होगा।

7. लाइसेंस के लिए आवेदन—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफ0एस0एस0 का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फार्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा— कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जाएगा।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण—

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

9. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क—

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जायेगा। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रानिक या नगद स्वरूप में किया जायेगा।

10. पंजीकरण के शुल्क और वैधता—

(i). ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2000.00।

(ii). पंजीकरण की वैधता: पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 02 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवा को फिर शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii). लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क: रू 1000.00

अध्याय—V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा—

(i). भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद, उरई के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

(ii). मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क—

(i). समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

- (ii). शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा "शेडयूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को सफाई शुल्क से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है जिसे नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- (iii). लाइसेंसधारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।
- (iv). फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियां के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन—

- (i). फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद, उरई के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।
- (ii). आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 02-वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर का समुन्नत अपग्रेड करना होगा।
- (iii). डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।
- (iv). ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति नगर पालिका परिषद, उरई वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- (v). वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) septic tank waste (अंग्रेजी में) और मलकुंड अपशिष्ट (हिन्दी में) लिखा होगा।
- (vi). फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. ढुलाई के दौरान सावधानी—

लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न होगा।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना होगा।

18. दुर्घटना की स्थिति—में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी—

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान लाइसेंसधारी ऑपरेटर को ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय—

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण—

- (i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।
- (ii) लाइसेंसधारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म-3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फार्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा।
- (iii) होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करें।

21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार—

- (i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फार्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।
- (ii) नगर पालिका परिषद, उरई होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) नगर पालिका परिषद, उरई वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।
- (iv) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा किया जाएगा।
- (v) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।
- (vi) एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15-दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य—

- (i) निकाय या ग्राम पंचायत जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है वह नगर पालिका परिषद, उरई होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।
- (ii) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

- (iii) यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय के उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।
- (iv) नगर पालिका परिषद, उरई विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।
- (v) होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।
- (vi) यदि “ होस्ट यूएलबी” की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निपटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद, उरई को एक नए “होस्ट यूएलबी” की खोज करनी चाहिए या नए “उपचार सुविधा” के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23. कर्मियों का प्रशिक्षण—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सर्वाधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच—

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकार्ड निकाय को दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25. बीमा—

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.03.2021 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26. जुर्माना/अर्थदंड/लाइसेंस रद्द किया जाना—

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो एवं डीस्लज ऑपरेटर द्वारा ओएसएस से एकत्र किय गये स्लज निकाय द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों, जलाशयों (पोखरा, तालाब, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लॉट, गड्ढों) आदि पर किए जाने कि स्थिति में लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफार्मेंस गारन्टी को जब्त करना शामिल होगा।

अध्याय VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण—

नगर पालिका परिषद, उरई जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरित उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

28. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है—

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय VII**प्रशासन और प्रवर्तन****29. प्रशासन और प्रवर्तन—**

- (i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियां अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।
- (ii) नगर पालिका परिषद, उरई फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
- (iii) नगर पालिका परिषद, उरई शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- (iv) नगर पालिका परिषद, उरई फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमरजेन्सी रिसपोंस सेनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

30. जांच के लिए विशेष शक्ति—

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद, उरई के पास किसी भी समय परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

31. नियम उल्लंघन और जुर्माना—

- (i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।
- (ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति — (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है: (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है: (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।
- (iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, (iv) दोषी पाए जाने की स्थिति में एफ0एस0एस0 निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।
- (iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
- (v) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

32. अपील—

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है।

33. विवाद समाधान उपविधि—

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल नगर पालिका परिषद, उर्ई के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

34. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन—

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

35. डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार—

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

36. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश—

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट—1**सेप्टिक टैंक का डिजाइन**

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बी0आई0एस0 कार्य संहिता प्रदान करता है (आई0एस0 2470 (भाग-1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टालेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एम0ओ0एच0यू0 के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओ0एस0एस0 पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत के सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है—

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी.)
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानी (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आधार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बी0आई0एस0 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल-भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012 ।

परिशिष्ट-2

नगर पालिका परिषद, उरई जनपद-जालौन में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र.सं.	श्रेणी	रु0 में शुल्क की सीमा (प्रति-ट्रिप 3,000 लीटर तक)
1.	कच्चा घर/झोपड़ी	350
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1500
4.	दुकान	1500
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1800
6.	बैंक	2000
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800
8.	रेस्टोरेंट	2000
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2000
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2500
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3000
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1200
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1800
14.	3-स्टार होटल	2800
15.	5-स्टार होटल	3500
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1000
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र तक)	1200
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1800
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र तक)	2500
20.	2- व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1800
21.	2- व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2800
22.	4- व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2500
23.	4- व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3500
24.	मल्टीप्लेक्स	2000
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1800
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2200
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500

28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3000
29.	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	2500
30.	बार	2500
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1800
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2800
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1800
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2200
35.	पैथलॉजिकल लैब	1500
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2500
37.	निजी अस्पताल (21 से 50 बिस्तर तक)	2500
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3500
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2000
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	3500

नोट: उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर-फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

परिशिष्ट-4

फार्म 1: नगर पालिका परिषद, उर्ई जनपद-जालौन में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ “septic tank waste” (अंग्रेजी में) और “मलकुंड अपशिष्ट” (हिंदी में) लिखा होगा।
9. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
10. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन निवियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-7

होस्ट यू0एल0बी0 तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4: “होस्ट यूएलबी” पर उपलब्ध “उपचार संयंत्र” में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर पालिका/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) जो नगर पालिका परिषद, उरई की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, “होस्ट यू0एल0बी0” (नगर पालिका परिषद, उरई) के प्रशासन के तहत “उपचार संयंत्र” पर, समझौता।

प्रथम पक्ष “..... यू0एल0बी0” (अधिशाली अधिकारी संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध

1. यह कि “प्रथम पक्ष” दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक “द्वितीय पक्ष” की प्रशासनिक सीमाओं से उनके “उपचार संयंत्र” पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)
2. “प्रथम पक्ष” अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने “उपचार संयंत्र” पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत/मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि “द्वितीय पक्ष” समझौते के अनुसार “प्रथम पक्ष” को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 2000 प्रति 15 किमी0 के परिधि के अन्दर (15 किमी0 से अधिक दूरी होने पर रु0 25 प्रति किमी0 अतिरिक्त देय होग। देने के लिए सहमत होगा।
4. यह कि “प्रथम पक्ष” उपचार सुविधा के संचालन का समय अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।
5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे।
6. कि “द्वितीय पक्ष” केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।
7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर “द्वितीय पक्ष” की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर की प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्र.सं.	विवरण	खंड संख्या	संकेतिक फाइन सीमा (रु० में)	जुर्माना (रु० या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/सुरक्षित प्रवाह	3	50	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओ०एस०एस० का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1000	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1000	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एस०टी०पी० से अनुपचारित F.S.S. प्रवाहित करना	27,28,33	5000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	5000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1000 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14,27,28, 29	5000	5000
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14,27,28, 29	5000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14,27,28, 29	150 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, उरई,
जनपद-जालौन।

नगर निगम, वाराणसी

08 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 429/विज्ञापन/2025-26 उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959 की धारा-305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा-541(48) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके “वाराणसी नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि-2025” का पाण्डुलेख अधिनियम की धारा-542 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी के मा0 सदन के समक्ष उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-543 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों जिन पर उक्त उपविधि का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे मा0 सदन की बैठक दिनांक 09.06.2025 में प्रस्ताव संख्या-289 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से पारित किया गया। मा0 सदन की स्वीकृति पश्चात् आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र “अमर उजाला” एवं “दैनिक जागरण” में दिनांक 17.07.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशन के माध्यम से 15 दिवस का समय प्रदान किया गया, नियत अवधि में प्राप्त समस्त आपत्तियों का निस्तारण गठित आपत्ति निस्तारण समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् आवश्यक संशोधन करते हुए अन्तिम रूप से उक्त उपविधि को नगर निगम, वाराणसी के मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 सदन की बैठक दिनांक 17.08.2025 के प्रस्ताव संख्या-322 द्वारा उक्त उपविधि को आवश्यक संशोधनों सहित अन्तिम रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-544 के अन्तर्गत उक्त संकल्पित उपविधि को प्रकाशित किया जाता है जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

वाराणसी नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2025

- | | |
|---|--|
| 1- संक्षिप्त नाम
विस्तार और
प्रारम्भ | <p>(1) यह उपविधि नगर निगम, वाराणसी (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2025” कही जायेगी।</p> <p>(2) इसका विस्तार नगर निगम, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।</p> <p>(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</p> <p>(4) उक्त उपविधि के गजट में प्रकाशित होने के पश्चात् विज्ञापन हेतु समस्त अनुज्ञाये उपविधि में दिये गये नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये जायेंगे। गजट में उप विधि के प्रकाशन उपरान्त ई-निविदा के माध्यम से जिन अनुज्ञायों की संविदा की गयी होगी उनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात् इस उपविधि के नियम लागू होंगे।</p> |
| 2-परिभाषायें | <p>(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में—</p> <p>(एक) ‘अधिनियम’ से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है।</p> <p>(दो) “विज्ञापनकर्ता” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।</p> <p>(तीन) “विज्ञापन प्रतीक” का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु</p> |

या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुक्त हों, और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भों, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

- (चार) “ गुब्बारा” का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।
- (पांच) “पताका” (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।
- (छः) “पता का विज्ञापन” का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो।
- (सात) “समिति” का तात्पर्य नियम-3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है।
- (आठ) तकनीकी समिति का तात्पर्य नियम-3 के अधीन गठित तकनीकी समिति से है।
- (नौ) “निगम” का तात्पर्य वाराणसी नगर निगम से है।
- (दस) “विद्युतीय प्रतीक” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।
- (ग्यारह) “गैन्ट्री विज्ञापन” का तात्पर्य सड़क के दोनो ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।
- (बारह) “भू-विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भों, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो।
- (तेरह) “प्रदीप्त प्रतीक” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और किसी कार्य प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।
- (चौदह) “शामियाना विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो।
- (पन्द्रह) “प्रक्षेपित प्रतीक” का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।
- (सोलह) “मार्ग अधिकार” का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।
- (सत्रह) “छत विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

- (अठ्ठारह) “अनुसूची” का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।
- (उन्नीस) “बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन” का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टांगे गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।
- (बीस) “पुष्प पात्र (फलावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन” का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे फलावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है।
- (इक्कीस) “जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है।
- (बाइस) “ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक लाईलैण्ड पर विज्ञापन” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।
- (तेइस) “प्रतीक संरचना” का तात्पर्य किसी ऐसे संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो।
- (चौबीस) “अस्थायी विज्ञापन” का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।
- (पच्चीस) “अनुज्ञा शुल्क” का तात्पर्य अधिनियम की धारा-541 की उपधारा-48 एवं उपधारा-41 के निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है।
- (छब्बीस) “ट्री गार्ड विज्ञापन” का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है।
- (सत्ताइस) “बरांडा प्रतीक” का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।
- (अठाइस) “दीवार प्रतीक” का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की वाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।
- (2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

3— स्थल चयन एवं अन्य नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में तकनीकी समिति का गठन

- (1) नगर आयुक्त वाराणसी की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए वाराणसी नगर निगम में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा।
- (2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे —

(एक)	नगर आयुक्त, वाराणसी अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त/विज्ञापन प्रभारी	—अध्यक्ष
(दो)	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, वाराणसी	—सदस्य
(तीन)	सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण	—सदस्य
(चार)	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जहाँ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.ए.आई.) से सम्बन्धित हो	—सदस्य
(पांच)	अधिशाली अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि	—सदस्य
(छः)	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि जहाँ स्थल भारतीय रेलवे से सम्बन्धित हो	—सदस्य
(सात)	यातायात पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत यातायात का प्रभारी (यातायात पुलिस विभाग)	—सदस्य
(आठ)	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	—सदस्य
(नौ)	नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत विज्ञापन क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ	—सदस्य
(दस)	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि	—सदस्य
(ग्यारह)	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी नगर निगम, वाराणसी	—सदस्य
(बारह)	नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत जोनल अधिकारी	—सदस्य
(तेरह)	टॉउन प्लानर वाराणसी विकास प्राधिकरण का	—सदस्य
(चौदह)	निगम का यातायात अभियन्ता या अधिशाली अभियन्ता से अनिम्न रैंक का अधिकारी (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य

टिप्पणी : नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से किसी एक या एक से अधिक सदस्य को, जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।

नगर आयुक्त महापौर के परामर्श से नाम निर्दिष्ट रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन एवं पार्षदों में से तीन सदस्यीय सलाकार मंच गठित कर सकता है। जो तकनीकी समिति को सुझाव साझा करेगी।

- (3) तकनीकी समिति के कृत्य :—
- (क) तकनीकी समिति नियम-27 में नगर निगम सीमा क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किये गये क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार नगर निगम हित में जोनवार विभाजित कर सकता है परन्तु विज्ञापन जोन की कुल संख्या नगर निगम में जोन की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिये।
- (ख) नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले विभिन्न सड़को को उनकी विज्ञापन राजस्व क्षमता के आधार पर जोनवार विभक्त किया जा सकता है।
- (ग) समिति द्वारा अनुमोदित स्थलो पर ही विज्ञापनो और विज्ञापन पटो की अनुज्ञा दी जायेगी, समिति द्वारा अनुमोदित स्थल तब तक यथावत रहेंगे जब तक समिति द्वारा पुनः स्थलो मे परिवर्तन न किया जायें।

- (घ) नगर आयुक्त विज्ञापन स्थलों के अनुमोदित महासूची में सम्मिलित कुल विज्ञापन क्षेत्रों के अवस्थानों में वृद्धि या कमी सहित परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत होगा।
- (ङ) समिति मेला, उत्सव, संगीत समारोह, कार्यशाला, जादू शो, नाटक आदि जैसे आयोजनों के दौरान अस्थायी चिन्हों/विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजक द्वारा किये गए किसी भी आवेदन के लिए अनुज्ञा सम्बन्धी नीतिगत निर्णय अनुसूची-2 में उल्लिखित दसों को दृष्टिगत रखते हुये ले सकती है।
- (च) समिति में नियम 27 में श्रेणियों के किये गये वर्गीकरण को नगर निगम के आय के दृष्टिगत एक दूसरे वर्गों में स्थान्तरित किये जाने का अधिकार निहित होगा।
- (4) नगर निगम अधिनियम-1959 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 540 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा विज्ञापन अनुज्ञा सम्बन्धित नियमावली जो भविष्य में प्रभावी की जायेगी उसमें जिन नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जायेगा, उन्हें पूर्ण रूप से उक्त उपविधि में सम्मिलित माना जायेगा।
- (5) नियम-3 के उपनियम-4 में उल्लिखित नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की प्रभावी नियमावली में जिन नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया जायेगा उन नियम एवं शर्तों तथा उक्त उपविधि द्वारा जो नियम एवं शर्तें निर्धारित की जायेगी उनमें यदि कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण उक्त तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है।
- (6) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विज्ञापन पट्टों में एकरूपता एवं अन्य मानकों को दृष्टिगत रखते हुए निजी भूमि/भवन तथा सार्वजनिक स्थलों पर पूर्व से स्थापित विज्ञापन स्ट्रक्चरों, विज्ञापन पट्टों एवं नये स्थापित किये जाने वाले विज्ञापन स्ट्रक्चरों, विज्ञापन पट्टों की साइज एवं 02 विज्ञापन पट्टों के मध्य की न्यूनतम दूरी, मानक एवं प्रत्येक रोड़, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक चौराहों पर स्थापित किये जाने वाले विज्ञापन स्ट्रक्चरों एवं विज्ञापन पट्टों की अधिकतम संख्या आदि का निर्धारण किये जाने का अधिकार निहित होगा।

4- प्रतिषेध

- (1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।
- (2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर जो किसी सार्वजनिक स्थान अथवा सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो, ऐसे स्थल पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा, न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने या लटकाने देगा।

- (3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।
- 5—विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण (निजी/सार्वजनिक अनुज्ञा हेतु)**
- (1) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेंसी को “ए” श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹0 60,000.00 (साठ हजार) पंजीकरण शुल्क एवं ₹0 2,00,000.00 (दो लाख) धरोहर धनराशि, “बी” श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹0 40,000.00 (चालीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं ₹0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) धरोहर धनराशि, एवं “सी” श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹0 25000.00 (पच्चीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं ₹0 1,00,000.00 (एक लाख) धरोहर धनराशि जमा करना होगा। उक्त पंजीकरण शुल्क मात्र 01 वर्ष के लिये नियत है जो किसी भी दशा में वापस अथवा समायोजित नहीं किया जायेगा।
- (2) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क “ए” श्रेणी हेतु ₹0 40,000.00 (चालीस हजार) “बी” श्रेणी हेतु ₹0 30,000.00 (तीस हजार) एवं “सी” श्रेणी हेतु ₹0 20,000.00 (बीस हजार) होगा। “ए” श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेंसी किसी भी श्रेणी के नीलामी/निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगी। बी श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेंसी बी श्रेणी के साथ-साथ सी श्रेणी के लिये अर्ह होगी। सी श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेंसी मात्र सी श्रेणी के लिये अर्ह होगी।
- 6— अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया**
- (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जाएगा, जिसे ₹0 500.00 का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से अथवा नगर निगम की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य के भुगतान की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- (क) नगर निगम वाराणसी में यदि विज्ञापन अनुज्ञा हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु यदि कोई प्रक्रिया लागू की जाती है तो आवेदन हेतु समस्त वांछित अभिलेख ऑनलाईन उपलब्ध कराने होंगे।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :-
- (क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढांचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को नियम-7 में गठित आवंटन समिति द्वारा तय किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।
- (ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

- (ग) कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।
- (घ) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।
- (3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे :-
- (क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण।
- (ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।
- (ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध पत्र,
आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक, रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया "वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के संरचना अभिकल्प, धारा-1 भार बल और प्रभाव" के भाग-4 के अनुसार होगा।
- (घ) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र,
- (4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप से यह वचन देना होगा कि किसी व्यक्ति/क्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।
- (6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।
- (7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/प्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्ड/प्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।
- (8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।
- (9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना होगी।

6—क अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें

- (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, यह कि :—
- (क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु यह शर्त होगी कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निधि में संदत्त और जमा किया गया हो।
- (ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नहीं होगी। धारा-7 में गठित आवंटन समिति द्वारा तकनीकी समिति के माध्यम से यूनीपोलो के मध्य दूरी अथवा निजी भूमि भवन पर स्थापित स्ट्रक्चरों आदि के माप एवं मानको का निर्धारण कराया जा सकता है।
- (ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा।
- (घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा बिना नगर आयुक्त की अनुमति के अन्तरणीय नहीं होगी।
- (ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (च) विज्ञापन पट्टों पर विज्ञापन की स्वीकृत अवधि लिखित रूप में अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।
- (छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
- (ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।
- (झ) भवन, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन (Ventilation) किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे।
- (ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा।
- (ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि में उल्लिखित सभी शर्तों और नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
- (ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा।
- (ड) महानगर क्षेत्र में स्थित मंदिर/मस्जिद के निकट ऐसे विज्ञापन जो किसी धार्मिक भावना ठेस पहुँचाता हो, ऐसे विज्ञापन की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

- (ढ) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अवलम्ब नियम-24 के अनुसार होंगे।
- (ण) समस्त विज्ञापन नियम-16 "समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाएँ" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।
- (त) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।
जिन विज्ञापन पट्टों को नगर आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्रदान की जायेगी उससे यदि कोई जनहानि अथवा दुर्घटना होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता अथवा जिसे नगर निगम द्वारा विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, का होगा।
- (द) विज्ञापनकर्ता अपने द्वारा विज्ञापित प्रत्येक अवस्थान का विवरण, जियो-टैग डेटा और चित्रों के साथ नगर निगम की वेबसाइट/ई-नगर सेवा पोर्टल पर या नगर आयुक्त द्वारा यथाविहित किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा।
- (क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है।
- (ख) यदि विज्ञापन पट्ट में कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है अथवा नगर आयुक्त की अनुमति के बिना किया जाता है।
- (ग) यदि विज्ञापन पट्ट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा जिन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, उन स्थलों में कोई परिवर्तन किया जाता है।
- (घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या उसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या
- (ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

6-ख प्रीमियम

- (1) नगर निगम सीमा क्षेत्र में नये स्थापित किये जाने वाले अथवा पूर्व से स्थापित सभी श्रेणीयों के विज्ञापन स्ट्रक्चर/विज्ञापन पट्ट हेतु वार्षिक किराया/प्रीमियम की धनराशि अनुसूची-2 में उल्लिखित विज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त ली जायेगी।
- (2) अनुसूची-2 में उल्लिखित न्यूनतम वार्षिक किराया/प्रीमियम का निर्धारण करते समय गतवर्ष में नगर निगम को प्राप्त ई-निविदा की धनराशि व स्थल के वर्गीकरण आदि को दृष्टिगत रखा जायेगा। नगर निगम हित में आवंटन समिति द्वारा किसी भी अधिकतम सीमा तक वार्षिक किराया/प्रीमियम का निर्धारण किया जा सकता है।

7- आवंटन समिति

- (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में वाराणसी नगर निगम में एक आवंटन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
- (एक) नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त

—अध्यक्ष

- (दो) निगम का मुख्य अभियन्ता —सदस्य
- (तीन) निगम में तैनात मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि —सदस्य
- (चार) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी (यदि जोनल व्यवस्था लागू हो) —सदस्य
- (पांच) विभागाध्यक्ष विज्ञापन अथवा जिसे नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत किया गया हो। सदस्य—सचिव

टिप्पणी : नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक सदस्य सहयोजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

- (2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।
- (3) समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा आर्इलैण्ट पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु अनुसूची-2 में उल्लिखित न्यूनतम प्रीमियम धनराशि को उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि को किसी भी अधिकतम सीमा तक निर्धारित किया जा सकता है।
- (4) समिति नियम-26 की अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी तत्पश्चात् सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक, रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।
- (5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि तथा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जाएगा।
- (6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्ही कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- (7) विस्तृत सूचना, अनुदेश, और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।
- (8) विज्ञापन (यथा—होर्डिंग, यूनीपोल, बस शैल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री-गार्ड/पलावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा, ई—निविदा के माध्यम से की जाएगी।
- (9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।
- (10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहाँ इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या

चाहरदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क उच्चतम प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

- (11) नगर आयुक्त किसी क्षेत्र अथवा किसी विशेष विज्ञापन पटो को समिति के विचार विमर्ष के पश्चात शासकीय/जनहित में निविदा प्रक्रिया से मुक्त कर सकते हैं।
- (12) नगर निगम के विज्ञापन अथवा किसी चौराहा/पार्क के रख-रखाव के बदले पी0पी0पी0 तथा बी0ओ0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क/प्रीमियम में छूट प्रदान करने हेतु शर्तों के अधीन समिति निर्णय ले सकती है।
- (13) बी0ओ0टी0 अथवा पी0पी0पी0 के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष तथा अधिकतम सात वर्ष हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त समिति के परामर्श से समय सीमा बढ़ाये जाने पर निर्णय ले सकते हैं।
- (14) आवंटन समिति नीलामी/निविदा के अतिरिक्त आवेदन पत्र के माध्यम से भी नगर निगम हित एवं शासकीय हित में विज्ञापन अनुज्ञा प्रदान करने के विषय में निर्णय ले सकती है।
- (15) समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों पर आवेदन के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पूर्व नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। नियमानुसार ऑनलाईन से भी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा सकते हैं। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम उपविधि के अनुसूची-2 में दर्शाये गये दरों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
- (16) समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम स्वामित्वाधीन/निजी भूमि, भवन पर पूर्व से आवंटित/अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में नगर निगम हित में वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित कर सकती है।
- (16) नियम-7 के अन्तर्गत गठित आवंटन समिति के अधिकारों में बिन्दु संख्या-11, 12, 13 तथा 14 में उल्लिखित प्राविधानों पर समिति द्वारा मा0 महापौर की अनुमति के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

8- आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार

नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यदि कि :-

- (क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

- (ग) तम्बाकू , से निर्मित पदार्थ सिगरेट, मादक द्रव्य, मदिरा इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो।
- (घ) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।
- (ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (च) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (छ) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।
- (ज) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा-172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।
- (झ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।
- नोट** नियम-8 के बिन्दु संख्या- क से झ तक में उल्लिखित तथ्य आवेदन-पत्र अस्वीकृत के आधार होंगे।

9— अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा :-

- (एक) सार्वजनिक नीलामी/ऑनलाईन नीलामी द्वारा
- (दो) निविदा आमंत्रित/ऑनलाईन ई-निविदा के द्वारा
- (तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है, किन्तु नई अनुज्ञा किसी भी दशा में बिना आवंटन समिति के परामर्श के नहीं दी जायेगी।
- (चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस उपविधि में दिये गये उपबंधों के अधीन दी जा सकती है।
- (पांच) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों को अधिकतम, 30 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जाएगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।
- (छः) विज्ञापन से सम्बन्धित निविदा की प्रक्रिया फरवरी माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जायेगी।

10— अनुज्ञा की अवधि

- (1) अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।
- (2) विशेष परिस्थितियों में नगर निगम हित को दृष्टिगत रखते हुये धारा-7 में गठित आवंटन समिति द्वारा शर्तों के अधीन समय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव नगर निगम की मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

11— अनुज्ञा का नवीनीकरण

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम-6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप अथवा ऑनलाईन प्रणाली पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/ नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

12— विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो अथवा नगर आयुक्त किसी भी कारण से उपयुक्त समझे तो नगर निगम अथवा उक्त कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है :—

(क) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(ग) उपविधि में उल्लिखित नियमों के विपरीत बिना अनुज्ञा के लगाये गये पोस्टर, पेंटिंग अथवा विज्ञापन पट आदि से यदि नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति/राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई जाती है, तो धारा-28 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत लागत वसूल किये जाने के साथ-साथ लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 तथा अन्य नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत वाद संस्थित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत विज्ञापन प्रभारी के किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जायेगा।

13— विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि,

(एक) यदि विज्ञापन पट आकार में 12.2 मीटर ग 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो।

- (तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।
- (पांच) यह मार्ग के आस-पास एवं मार्ग पट्टी/पगडंडी पर रखा गया हो।
- (छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।
- (सात) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।
- (आठ) जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।
- (2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :
- (एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिसमें कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है।
- (दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10-मीटर के भीतर।
- (तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी लाइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।
- (चार) ऐसे रूप में जिसमें लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतन या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो।
- (पांच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्त पत्रकों, वस्त्र-झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो।
- (छः) ऐसे रूप में जिसमें पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो।
- (सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।
- (3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पट्टों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।
- (दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
- (तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशा सूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय, जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सकें।
- (चार) पलावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस वाले पलावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे।

- (पांच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/पलावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा।
- (छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियोस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियोस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।
- (4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (एक) ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिसमें चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे चालान की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।
- (दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतन का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14—छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन

- (1) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुये किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

15— विज्ञापन पट्टों के प्रकार

विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगे :—

- (क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन
- (ख) एल.ई.डी. स्क्रीन
- (ग) भू-विज्ञापन (केवल यूनीपोल)
- (घ) छत विज्ञापन
- (ङ.) बरामदा/दुकान विज्ञापन
- (च) दीवार विज्ञापन
- (छ) प्रक्षिप्त विज्ञापन
- (ज) शामियाना विज्ञापन
- (झ) आकाशीय विज्ञापन
- (ञ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन
- (ट) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन
- (ठ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन
- (ड) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
- (ढ.) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन
- (ण) ट्री गार्ड/पलावर पॉट डिस्पले
- (त) गैन्ट्री विज्ञापन

- (थ) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन
- (द) फुट ओवर ब्रिज
- (घ) प्रचार वाहन
- (न) रैन बसेरा पर विज्ञापन
- (प) पानी की टंकी पर विज्ञापन
- (फ) विद्युत पोल पर क्योस्क
- (ब) सांकेतिक पट

उपरोक्त के अतिरिक्त तकनीकी समिति नगर निगम की आय के दृष्टिगत किसी भी अन्य प्रकार के विज्ञापन की अनुमति दे सकती है।

**(क) वैद्युत विज्ञापन
और प्रदीप्त
विज्ञापन**

- क-1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री :- जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- क-2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञानों का स्थापन :
प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग-8 भवन सेवायें धारा-2, विद्युत एवं समवर्गीय स्थापना के अनुसार स्थापित किया जाएगा।
- क-3 लाल, तृणमणि जैया या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।
- क-4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सकें।
- क-5 गहन प्रदीप्ति : कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।
- क-6 परिचालन अवधि : नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।
- क-7 चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाली : विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

- क-8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
- (ख) भू-विज्ञापन
- ख-1 सामग्री : ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम-16 के उप नियम-(4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्ज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- ख-2 आयाम : कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊंचाई में परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।
- ख-3 अवलम्ब और स्थिरक स्थान : प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।
- ख-4 स्थल सफाई : किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ख-5 यातायात में अवरोध : ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।
- ख-6 तल निर्बाधन : सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2.5 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।
- ख-7 भू-चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हो, नियम-16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।
- (ग) छत विज्ञापन
- ग-1 सामग्री : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्ज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।
- ग-2 अवस्थिति :
- (क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।
- (ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्ज्वलनशील सामग्री का न हो।
- ग-3 क्षेपण (प्रोजेक्शन) : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाईन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

- ग-4 अवलम्ब और स्थिरक : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।
- ग-5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहियें।
- ग-7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) बरामदा विज्ञापन

- घ-1 सामग्री : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम-16 के उप नियम-(4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- घ-2 आयाम : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।
- घ-3 संरेखण : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन, के समान्तर स्थापित किया जाएगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।
- घ-4 स्थान :- बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा -
- (एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।
- (दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से.मी. से अधिक वहिर्निष्ट न हो।
- (तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुंडेरों पर।
- घ-5 लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई :- किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।
- घ-6 प्रक्षेपण : घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ङ) दीवार विज्ञापन

- प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणों 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।
- (क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।
- (ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं	च-1	समग्री : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवम्लब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।
	च-2	प्रक्षेपण एवं ऊँचाई : कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखट की किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी, किन्तु यह मार्ग के सामने भू-खण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।
	(क)	समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।
	(ख)	कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।
	(ग)	किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।
	च-3	अवलम्ब एवं संलग्नक : प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंक्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सकें कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।
	च-4	अतिरिक्त भार : ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएँ जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहें वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सकें।
(छ:)शामियाना विज्ञापन पट्टिका	छ-1	समग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।
	छ-2	ऊँचाई : ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।
	छ-3	लम्बाई : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी।
(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिका	ज	आकाश विज्ञापन पट्टिका : आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

**(झ) अस्थायी
विज्ञापन
पट्टिका**

- झ अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं : सचन सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट ।
- झ-1 प्रकार : झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी :-
- (क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो ।
- (ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो ।
- (ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो ।
- (घ) किसी सड़क के आस-पास परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका ।
- (ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो ।
- (च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाईसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है ।
- (छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भू-खण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और पलैट के किसी ब्लॉक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी पलैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो,
- (ज) पेड़ों चट्टानों या पहाडियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका ।
- झ-2 अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता :
- (एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे ।
- (दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से सम्बन्धित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो । अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे-ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा ।

- (तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।
- (चार) पोल विज्ञापन पट्टिका : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।
- (पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं : किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे-ही वे फट जायें। या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।
- (छः) अधिकतम आकार : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगी।
- (सात) प्रक्षेपण : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।
- (आठ) विशेष अनुमति : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़ जायें, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।
- (नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इशतहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हो।
- टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों में संबंधित इशतहार को इशतहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इशतहारों और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

16—सभी विज्ञापन पट्टों/पट्टिकाओं के लिए सामान्य अपेक्षाएँ

- (1) भार : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1, राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आंधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

- (2) प्रदीप्ति : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-8 भवन सेवाएं खण्ड-2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।
- (3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :
- (क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आयेगी।
- (ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।
- (ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।
- (घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।
- (ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- (च) जहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचें वहाँ विज्ञापन पट्टिका को लगाये जाने से बचना चाहियें।
- (छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सकें।
- (ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।
- (4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग :
- (एक) सजावटी विशिष्टता : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहाँ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।
- (दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

- (5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण : जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचायी है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।
- (6) अनुज्ञा-पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन : अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की सम्पत्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सकें।

17— दुकानों पर विज्ञापन

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

- (एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय, तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।
- (दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
- (तीन) नगर निगम सीमान्तर्गत सार्वजनिक मार्गों पर स्थित दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपनी दुकान/प्रतिष्ठान के ऊपर लगाये गये विज्ञापन पट्टों पर यदि दुकान के नाम के अतिरिक्त 75 प्रतिशत क्षेत्र में किसी वस्तु अथवा विक्रय की जानी वाली वस्तुओं का विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, तो ऐसे विज्ञापन पट्टों पर उक्त धारा के बिन्दु-01 में दिये गये प्राविधान लागू नहीं होंगे। बल्कि नियमानुसार विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18—मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी —

- (1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन —
- (एक) अभिकल्प : विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) बस सायबानों पर विज्ञापन :-

अभिकल्प : बस सायबानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :-

नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर x 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) यातायात रोटरी/सड़क : नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियों : नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्ध कर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर x 0.75 मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी० होगी।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) : नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाइडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

- (7) पुष्प पात्र स्टैण्ड (फलावर पॉट स्टैण्ड) : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 X 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनो ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

19— छूट

- (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी :-
- (एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।
- (दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायें।
- (तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतन, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर X 0.6 मीटर से अधिक न हो।
- (पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय, किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।
- (छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैंक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 0.90 वर्गमीटर से अधिक न हो।
- (सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।
- (2) दीवार विज्ञापन पट्ट : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिये किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (एक) भण्डारण विज्ञापन पट्ट : किसी प्रदर्शित खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट

जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

- (दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट : किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना घोषित करते हो।
- (तीन) नाम पट्ट : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम का इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्गमीटर से अधिक न हो।
- (चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हो।
- (3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट :
- (एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वस्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।
- (दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरादायी नहीं हो।
(नियम-15झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

20— विशेष विज्ञापन (1)

- यदि धारा-22 में घोषित निषिद्ध क्षेत्र तथा धारा-27(1) में निर्धारित निषिद्ध क्षेत्र में धार्मिक विज्ञापन को छोड़कर अन्य कोई विज्ञापन अनुज्ञा अल्प अवधि (एक माह तक) के लिये दिया जाना है, तो ऐसी स्थिति में नगर आयुक्त विशेष परिस्थितियों में अश्रेणी हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क (अनुसूची-2 के अनुसार) के दोगुना धनराशि पर शर्तों के अधीन प्रदान कर सकते हैं, परन्तु उक्त धारा में प्रदान की गयी अनुज्ञा समाप्त होने के 24 घण्टों के भीतर विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेंसी को विज्ञापन स्वयं हटाना अनिवार्य होगा।
- (2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- (3) धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग अथवा अन्य सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में जो राजनैतिक न हो, को नगर आयुक्त विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क अथवा किसी भी न्यूनतम धनराशि पर पूर्ण अस्थाई प्रकृति के विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं, परन्तु उक्त विज्ञापन की अनुज्ञा किसी भी दशा में 15 दिवस से अधिक की नहीं होगी। आयोजक अथवा विज्ञापनकर्ता को अनुमति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र में विज्ञापन पट्ट की साईज, स्थान तथा संख्या का उल्लेख स्पष्ट रूप से विज्ञापन अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- (4) धारा-20(4) नियम 3 के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी, यदि उक्त के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के 24 घण्टों के भीतर आयोजक/विज्ञापनकर्ता द्वारा स्वयं सम्बन्धित विज्ञापन

सामग्री नहीं हटायी जाती है, तो विज्ञापन पटों पर माप के अनुसार "अ" श्रेणी हेतु निर्धारित दर की दोगुना धनराशि दिवस के अनुसार अनुज्ञा शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

- (5) अल्पकालिक विज्ञापनों हेतु पंजीकरण की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होगी। नगर आयुक्त अथवा इस कार्य हेतु प्राधिकृत प्रभारी विज्ञापन यदि उचित समझते हैं तो वह अल्पकालिक स्वीकृति दे सकते हैं अल्पकालीन स्वीकृति की अवधि अधिकतम 03 माह की होगी। ऐसी अनुमति हेतु देय विज्ञापन शुल्क की दर सामान्य विज्ञापन पटों हेतु अनुसूची-2 में निर्धारित दरों की दो गुना होगी। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत दी गयी अनुज्ञा की सम्पूर्ण देय धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से करना होगा।

21-विशेष नियंत्रण क्षेत्र

- (1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त की अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावल, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यायी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा "ज्वैलर्स" "कैफे" "डांसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किस भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।
- (4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

22- निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, वाराणसी मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

- 23— झण्डियों पर रोक**
- (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लगाने की क्रिया नहीं करेगा।
 - (2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।
 - (3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसा शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।
 - (4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपह या विनष्ट कर सकता है।
- 24— अनुरक्षण और निरीक्षण**
- (1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे, जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगाने से रोकने के लिए रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।
 - (2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन, के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरादायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
 - (3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।
- 25— प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**
- नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु —
- (एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
 - (दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
 - (तीन) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक, ध्यान दिया जायेगा।
- 26— भुगतान की रीति**
- (1) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किश्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

27— क्षेत्रों का वर्गीकरण

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची-2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगी।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुसूची-2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किश्त में देय होगी।

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा —

(एक) निषिद्ध क्षेत्र

(दो) 'अ' श्रेणी क्षेत्र

(तीन) 'ब' श्रेणी क्षेत्र

(चार) 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के सामान्य विज्ञापन (एल0ई0डी0, ग्लोसाईन बोर्ड एवं डिजिटल विज्ञापनो को छोड़कर) प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :

1— सर्किट हॉउस से मण्डलायुक्त कार्यालय तक।

2— सर्किट हॉउस से मण्डलायुक्त होते हुये अम्बेडकर पार्क तक तथा सर्किट हॉउस से नगर आयुक्त आवास तक।

3— गोदौलिया चौराहा से दशाश्वमेध एवं राजेन्द्र प्रसाद घाट तक।

4— गोदौलिया चौराहा से बाबा काशी विश्वनाथ मन्दिर गेट नम्बर-4 तक।

5— बाबा काशी विश्वनाथ मन्दिर के 100 मी0 परिधि में सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध रहेगा

6— काल भैरव मन्दिर के 100 मी0 परिधि में में सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध रहेगा

(दो) 'अ' श्रेणी क्षेत्र :

1— कैण्ट कृष्णा धर्मशाला इंग्लिसियालाइन से साजन तिराहा होते हुए सिगरा चौराहा रथयात्रा चौराहा तक।

2— साजन तिराहा से आई0पी0 मॉल होते हुए फातमान रोड मलदहिया चौराहा होते हुए तेलियाबाग मरी माई मन्दिर तक।

3— मलदहिया चौराहा से लहुराबीर चौराहा, कबीर चौरा होते हुए मैदागिन चौराहा तक।

4— रथयात्रा चौराहा से गुरुबाग लक्सा होते हुए गोदौलिया चौराहा तक।

5— गोदौलिया चौराहा से जंगमबाड़ी सोनारपुरा अस्सी होते हुए लंका बी0एच0यू0 गेट तक।

- 6— बी०एच०यू० गेट से ट्रामा सेन्टर होते हुए सामने घाट पुल तक।
- 7— चौक बॉसफाटक से मैदागिन चौराहा होते हुए विशेश्वरगंज तक।
- 8— अन्धारापुल मरी माई मन्दिर से आनन्द मन्दिर होते हुए जगतगंज लहुराबीर चौराहा तक अन्धारापुल से ताज होटल होते हुए वरुणापुल तक।
- 9— रविदास गेट से संकट मोचन मन्दिर कबीर नगर दुर्गाकुण्ड मन्दिर होते हुए गुरुधाम चौराहा से आई०पी० विजया मॉल तक।
- 10— रथयात्रा चौराहा से महमूरगंज आकाशवाणी होते हुए मण्डुवाडीह चौराहा तक।
- 11— संत अतुलानन्द स्कूल से गिलट बाजार होते हुए भोजूबीर तिराहा तक।
- 12— संत अतुलानन्द स्कूल से बाईपास होते हुए तरना नगर निगम सीमा तक।
- 13— रथयात्रा चौराहा से कमच्छा होते हुए भेलूपुर आई०पी० विजया मॉल तक।
- 14— आई०पी० विजया से किनाराम स्थल रविन्द्रपुरी होते हुए अस्सी मोड़ तक।
- 15— लंका बी०एच०यू० गेट से सुन्दपुर होते हुए भिखारीपुर तिराहा तक।
- 16— भिखारीपुर तिराहा से ककरमत्ता फ्लाईओवर होते हुए मण्डुवाडीह चौराहा तक।

(तीन)

'ब' श्रेणी क्षेत्र :

- 1— कचहरी पुलिस लाईन चौराहा से मकबूल आलम रोड होते हुए चौकाघाट गाटरपुल तक।
- 2— लहरतारा चौराहा से अन्धारापुल होते हुए चौकाघाट पानी टंकी, गोलगड्डा चौराहा होते हुए राजघाट नमो घाट तक।
- 3— सिगरा चौराहा से महमूरगंज आकाशवाणी तक।
- 4— मण्डुवाडीह चौराहा से लहरतारा चौराहा तक।
- 5— भिखारीपुर तिराहा से चितईपुर चौराहा होते हुए अवलेशपुर चौराहा तक।
- 6— रामनगर किला से रामनगर चौराहा होते हुए टेंगरा मोड़ रोड़ नगर निगम सीमा तक।
- 7— लहरतारा चौराहा से फुलवरियाँ फ्लाईओवर होते हुए सेन्ट्रल जेल तिराहा तक।
- 8— भोजूबीर चौराहा से बसहीं होते हुए चाँदमारी रिंग रोड तक।
- 9— पाण्डेयपुर चौराहा से पहड़िया होते हुए सारनाथ आशापुर फ्लाईओवर होते हुए सन्दहा रिंग रोड़ तक।
- 10— पाण्डेयपुर चौराहा से बाबन बीगहा रिंग रोड तक।

(चार) 'स' श्रेणी क्षेत्र :

- (पाँच) 1— अ श्रेणी तथा ब श्रेणी में जो क्षेत्र उल्लिखित है, उनके अतिरिक्त वाराणसी नगर निगम की सीमा में आने वाले समस्त क्षेत्र।
- 2— एक से चार तक में वर्णित क्षेत्रों में यदि कोई विज्ञापन पट्ट दो श्रेणियों या अधिक श्रेणियों की सड़कों के मध्य प्रदर्शित किया जाता है तो उनके विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरे उच्च श्रेणी की सड़कों के अनुरूप होगी किसी भी विज्ञापन पट्ट के क्षेत्र के वर्गीकरण की विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय नियम-7 में गठित आवंटन समिति का होगा जो अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

**28— हटाये जाने की
लागत एवं
जुर्माना**

- नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाये या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी—
- (क) (1) सार्वजनिक/सरकारी मार्ग, भूमि/निजी भूमि पर स्थापित रु. 250/—
विज्ञापन पट्ट हेतु
20 वर्गफिट या उससे कम के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट
(यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत —
- (2) 21 से 60 वर्गफिट तक के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट रु. 500/—
(यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत —
- (3) 61 से 200 वर्गफिट तक के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट रु. 3000/—
(यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत —
- (4) 201 से 400 वर्गफिट तक के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट रु. 5000/—
(यूनीपोल को छोड़कर) के हटाने की लागत —
- (5) 401 से 800 वर्गफिट तक के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट रु. 15000/—
को छोड़कर) के हटाने की लागत
- (ख) खण्ड(क)में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से बड़े प्रति रु. 30000/—
विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट (यूनीपोल को छोड़कर)को हटाने
की लागत
- (ग) (1) निजी भवन पर (छत के ऊपर) 200 वर्गफिट से कम रु. 10000/—
क्षेत्रफल के विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट्ट को हटाने प्रति विज्ञापन
की लागत पट्ट
- (2) निजी भवन पर (छत के ऊपर) 201 वर्गफिट से 600 वर्गफिट रु. 25000/—
तक अधिक क्षेत्रफल के विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट्ट प्रति विज्ञापन
को हटाने की लागत पट्ट
- (3) निजी भवन पर (छत के ऊपर) 601 वर्गफिट से अधिक रु. 50000/—
क्षेत्रफल के विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट्ट को हटाने प्रति विज्ञापन
की लागत पट्ट

- (घ) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर लगाये गये पोस्टर आदि साफ करने की लागत रु. 10/— प्रति वर्गफिट
- (ङ) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर की गयी पेंटिंग के माध्यम से किये गये प्रचार को साफ करने लागत रु. 50/— प्रति वर्गफिट
- (च) सार्वजनिक अथवा निजी भूमि पर सिंगल पोल पर स्थापित यूनियोपल आदि को हटाने की लागत रु. 15000/— प्रति पोल
- (छ) सार्वजनिक अथवा निजी भूमि पर स्थापित गैलेन्ट्री आदि को हटाने की लागत 40000/—
- (ज) नगर निगम सीमा में बिना अनुज्ञा के चलने वाले प्रचार वाहनों को पकड़े जाने पर अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रतिवर्ष/प्रतिदिन की दर से न्यूनतम 01 माह का अनुज्ञा शुल्क लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बिना अनुमति पकड़े जाने पर निम्न धनराशि जुर्माने के रूप में वसूल की जायेगी।
- (1) ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर (सड़क प्रदर्शन छोड़कर) अंकन 5000/— रु0
 - (2) हल्का वाहन (सड़क प्रदर्शन छोड़कर) अंकन 10000/— रु0
 - (3) भारी वाहन (सड़क प्रदर्शन छोड़कर) अंकन 20000/— रु0
 - (4) हस्तचालित रिक्शा (सड़क प्रदर्शन सहित) अंकन 2000/— रु0
 - (5) तीन पहिया वाहन (सड़क प्रदर्शन सहित) अंकन 10000/— रु0
 - (6) चार पहिया वाहन (सड़क प्रदर्शन सहित) अंकन 15000/— रु0
 - (7) छःपहिया वाहन (सड़क प्रदर्शन सहित) अंकन 30000/— रु0
- (झ) बिना अनुज्ञा के लगाये गये विज्ञापन पट्टों को हटाये जाने की लागत के अतिरिक्त न्यूनतम 06 माह के विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क अनुसूची-2 में उल्लिखित धनराशि देय होगी। उक्त धनराशि के अतिरिक्त जुर्माने की न्यूनतम धनराशि निम्नवत होगी।
- 1.यूनियोपल— 25000/—
 - 2.गैलेन्ट्री— 50000/—
 - 3.प्राईवेट भूमि/भवन पर स्थापित होर्डिंग 40000/—
- (ञ) उक्त नियम में उल्लिखित जुर्माने की नियत धनराशि में आवेदन प्राप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर सकते हैं।
- (ट) अवैध विज्ञापनों को हटाये जाने अथवा विज्ञापन शुल्क की वसूली आदि हेतु किसी फर्म/संस्था को ई-निविदा के माध्यम से अधिकृत किया जा सकता है।

**29— अपराधों के
लिए दण्ड
और उनका प्रशमन**

- (1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 10000/- (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु0 500/- (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- (2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।
- (3)

उपनियमों में उल्लेखित प्राविधानों के आंशिक अथवा पूर्णतया उल्लंघन करने तथा किसी भी प्रकार से अनुज्ञा/विज्ञापन शुल्क अपवन्धन करने अथवा किसी भी प्रकार से निगम की सम्पत्ति/सार्वजनिक सम्पत्ति के स्वरूप को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में यदि नगर आयुक्त उपयुक्त समक्षों तो सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता को ब्लैकलस्टि के साथ-साथ उपयुक्त कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत मुकदमा/प्राथमिकी इन्द्राज कराने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगें।

30—अन्य प्राविधान

- (1) जहाँ पर सरकारी विज्ञापन हो उसके अगल-बगल 10 फीट के दायरे में कोई भी प्राइवेट विज्ञापन अनुमन्य नहीं होगा।
- (2) यदि एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क बकाया हो तो नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
- (3) यदि प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क का बकाया होगा तो एजेन्सी किसी भी प्रकार के निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकती।
- (4) निविदा में प्रतिभाग करने वाले एजेन्सी का कोई भी भागीदार/निदेशक/प्रोपराइटर की दूसरी किसी भी एजेन्सी में जिसका विज्ञापन शुल्क बकाया हो उसका कोई भी भागीदार/निदेशक/प्रोपराइटर निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकता है एजेन्सी के भागीदार/निदेशक/प्रोपराइटर को इस आशय का स्व घोषणा-पत्र देना होगा कि मेरी किसी भी एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क बकाया नहीं है जिसकी पुष्टि नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा भी की जा सकती है।
- (5) इस उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी इत्यादि की कोई भी देयता बनती है तो उसकी वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 520 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रपत्र सं.....

मूल्य रु0 500 /—

अनुसूची-1

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक / विज्ञापनकर्ता का नाम.....

1. अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....

पता.....

विज्ञापनकर्ता का
पासपोर्ट आकार का
रंगीन चित्र

2. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार.....

3. विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई X चौड़ाई मीटर में).....

4. स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....

5. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम

6. क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ?

7. (एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

8. (एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क.....

(दो) किश्त की धनराशि.....

9. देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क.....

10. कोई अन्य विवरण

संलग्नक :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरभाष नं0

मोबाईल नं0

अनुसूची-2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें।

नगर निगम सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर जिनके विज्ञापन का प्रबन्धन नगर निगम द्वारा किया जाता है के भूमि, दीवार और भवन तथा सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए—

1. सामान्य विज्ञापन —

- (1) “अ” श्रेणी क्षेत्र : रु. 160/— (एक सौ साठ रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (2) “ब” श्रेणी क्षेत्र : रु. 155/— (एक सौ पचपन रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (3) “स” श्रेणी क्षेत्र : रु. 150/— (एक सौ पचास रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष

2. एकस्तम्भ (यूनीपोल/कैण्टीलीवर/साईड पोल) पर विज्ञापन पट —

- (1) “अ” श्रेणी क्षेत्र : रु. 170/— (एक सौ सत्तर रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (2) “ब” श्रेणी क्षेत्र : रु. 165/— (एक सौ पैंसठ रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (3) “स” श्रेणी क्षेत्र : रु. 160/— (एक सौ साठ रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष

3. ट्री-गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट —

- (1) “अ” श्रेणी क्षेत्र : रु. 180/— (एक सौ अस्सी रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (2) “ब” श्रेणी क्षेत्र : रु. 175/— (एक सौ पचहत्तर रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (3) “स” श्रेणी क्षेत्र : रु. 170/— (एक सौ सत्तर रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष

4. सेन्टर विद्युत पोल/बस शेल्टर/आईलैण्ड/गैन्ट्री : —

- (1) “अ” श्रेणी क्षेत्र : रु. 190/— (एक सौ नब्बे रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (2) “ब” श्रेणी क्षेत्र : रु. 185/— (एक सौ पच्चासी रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष
- (3) “स” श्रेणी क्षेत्र : रु. 180/— (एक सौ अस्सी रुपया) प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष

5. (1) निजी भूमि, भवन/सार्वजनिक स्थलों पर एल.ई.डी. स्क्रीन (चलचित्र विज्ञापन) के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु अंकन 600 रु0 प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) सार्वजनिक स्थलों पर ट्यूबलाइट, बैकलिट, फ्रन्टलिट, एल.ई.डी. लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/ विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त क्रम संख्या-1 से 4 अर्थात् सभी श्रेणी में निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त क्र0सं0 1 से 4 अर्थात् सभी श्रेणी एवं अनुसूची-2 की धारा 5(2) के अनुसार निर्दिष्ट/देय दरों का 5 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

6. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

(एक) ऑटों रिक्शा थ्री-व्हीलर : रू. 12000/- (रूपया बारह हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(दो) हल्का वाहन : रू. 25,000/- (पच्चीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(तीन) भारी वाहन : रू. 50,000/- (पचास हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन शक्ति चालित / हस्तचालित निम्नलिखित दर पर -

(एक) हस्तचालित (रिक्शा) : रू. 150/- (रूपया एक सौ पचास) प्रति दिन

(दो) तीन पहिया : रू. 300/- (रूपया तीन सौ) प्रति दिन

(तीन) चार पहिया : रू. 1000/- (रूपया एक हजार) प्रति दिन

(चार) छः पहिया : रू. 2000/- (रूपया दो हजार) प्रति दिन

नोट : यदि वाहनों पर डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन किया जाता है, तो उपरोक्त दरें 100 प्रतिशत वृद्धि के साथ देय होगा।

1. पर्चा (हैण्ड बिल) : रू. 2000/- (रूपया दो हजार) प्रति हजार

2. पताक (बैनर) : रू. 300/- (रूपया तीन सौ) प्रति बैनर प्रतिदिन

3. गुब्बारे : रू. 1000/- (रूपया एक हजार) प्रतिदिन

4. छतरी (कैनोपी) : रू. 500/- (रूपया पांच सौ) प्रतिदिन (45 वर्गफीट या ऐसे प्रत्येक भाग के लिए)

5. दीवारों पर वॉल राइटिंग - अनुज्ञा शुल्क की दर मद संख्या-1 के अनुसार

6. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग आदि अन्य प्रकार के विज्ञापन पट्ट जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-2 में क्र0सं0 1 से 4 अर्थात् सभी श्रेणी में निर्दिष्ट दरों में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के समान ही देय होगा।

7. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क धारा-20(5) के अनुसार विज्ञापन अनुज्ञा हेतु लिया जायेगा।

8. ध्वनि विस्तारक यंत्र : रू. 300/- प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन

9. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।

10. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर स्थापित किये जाने से पूर्व भवन की एवं स्ट्रक्चर की मजबूती/सुदृढ़ीकरण तथा गुणवत्ता का प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ विज्ञापन स्ट्रक्चर का बीमा भी उपलब्ध कराना होगा। उक्त के अतिरिक्त विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेंसी के मध्य किराया नामा के अनुबन्ध पत्र की प्रमाणित प्रति, स्ट्रक्चर की साइज आदि का विस्तृत उल्लेख करते हुए शपथ पत्र के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके की स्थिति में किसी संशय अथवा विरोधाभास की स्थिति में विज्ञापन विभाग

नगर निगम अभियंत्रण विभाग से भी परीक्षण करा सकता है। स्ट्रक्चर की मजबूती आदि के सम्बन्ध में धारा-7 में गठित आवंटित समिति बी0एच0यू0 आई0आई0टी0 के अधिकृत तकनीकी विशेषज्ञ तथा नगर निगम अभियंत्रण विभाग की टीम से संयुक्त रूप से जाँच करा सकती है जाँच में कोई कमी/त्रुटि पाये जाने पर विज्ञापन स्ट्रक्चर की अनुज्ञा जनहित में निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

11. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।
12. नगर निगम सम्पत्ति/संसाधनों/विद्युत पोलों अथवा नगर निगम के प्रबन्धाधीन सम्पत्तियों जिन पर विज्ञापन पट्ट स्ट्रक्चर सहित स्थापित कर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हैं वार्षिक किराया/प्रीमियम किसी भी दशा में प्रति विज्ञापन स्ट्रक्चर पर स्थापित विज्ञापन पट्ट की प्रति वर्ष देय विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की आगणित धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
13. नगर निगम, वाराणसी के स्वामित्वाधीन स्थापित एक स्तम्भ यूनिपोल, यात्री प्रतीक्षालय अथवा किसी अन्य विज्ञापन स्ट्रक्चर को जो पूर्व से स्थापित है को किराये पर उठाये जाने हेतु विज्ञापन शुल्क अतिरिक्त वार्षिक किराया/प्रीमियम किसी भी दशा में प्रति विज्ञापन स्ट्रक्चर पर स्थापित विज्ञापन पट्ट की माप के अनुसार प्रतिवर्ष देय विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की आगणित धनराशि के 100 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
14. अनुसूची-2 के क्र0सं0-12 व 13 में उल्लिखित न्यूनतम वार्षिक किराया/प्रीमियम धनराशि को नियम 07 में गठित आवंटन समिति द्वारा प्रतिस्पर्धा के आधार पर निगम को वर्तमान में प्राप्त हो रही आय के अनुसार नगर निगम हित में नियम 9 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।
15. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से देय होगी।
16. स्पष्टीकरण :—

1. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 03 माह से कम अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते हैं कि अनुज्ञा शुल्क धारा-20(5) के अनुसार मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जायेगी।
2. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।
3. उपविधि में जिन बिन्दुओं/तथ्यों का उल्लेख नहीं है अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क के विषय में यदि कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उक्त स्थिति में उपविधि की धारा-7 में गठित आवंटन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

अक्षत वर्मा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी।

कार्यालय नगर पंचायत, खानपुर, बुलन्दशहर

29 मार्च, 2025 ई0

सं0 294/न0पं0खा0/2025-26-18/न0पं0खानपुर/प्रकाशन-नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293-क, 294 सपठित धारा 298 (1), 298(2)ज एवं 299 के अधीन चलने वाले रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाड़ी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि को खड़ा करने के लिये स्टैण्ड (अड्डा) एवं निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल की स्थापना/अनुज्ञा दिये जाने का विनियमन एवं नियंत्रण करने सम्बन्धित उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या-18 दिनांक 13 जून, 2024 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 12 फरवरी 2025 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या-03 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्थाना दिनांक 12 फरवरी 2025 के पृष्ठ संख्या-03 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्त स्थिति में सम्यक विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत खानपुर द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या-7 दिनांक 29 मार्च, 2025 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु 'चलने वाले रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाड़ी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि को खड़ा करने के लिये स्टैण्ड (अड्डा) एवं निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल की स्थापना/अनुज्ञा दिये जाने का विनियमन एवं नियंत्रण करने संबंधी उपविधियों का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद में हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा 301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियाँ

- 1- (1) यह उपविधि नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाड़ी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि को खड़ा करने के लिये स्टैण्ड (अड्डा) एवं निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल की स्थापना/अनुज्ञा दिये जाने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।
- (2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत खानपुर क्षेत्र में प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उपविधि 01.04.2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषायें -

विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में -

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से हैं)
- (2) स्टैण्ड (अड्डा) का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इस उपविधि में दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत खानपुर किसी वाहन (जिन्हें निश्चित किया जाये) को खड़ा करने के लिये निर्धारित/स्थापित करती है।
- (3) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के अधिशाली अधिकारी से है।
- (4) "अनुज्ञा-पत्र" का अर्थ इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा-पत्र से है।
- (5) चेयर पर्सन से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के चेयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।
- (6) "अनुज्ञा" का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त "अनुज्ञा" से है।
- (7) वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।
- (8) अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी से तात्पर्य अधिशाली अधिकारी से है।

(9) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

(10) निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल से तात्पर्य ऐसी किसी निजी भूमि अथवा भवन से है जिसका इस्तेमाल भवन/भूमि स्वामी अथवा अध्यासी (जैसी भी स्थिति हो) शुल्क प्राप्त करके अन्य लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिये करता है।

स्पष्टीकरण—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3. कोई भी रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाडी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि नगर पंचायत की सीमा में नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित/स्थापित स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर खड़ा करके सवारी/माल नहीं उतारेगा और न ही चढ़ायेगा और ना ही खड़ा करेगा।

स्पष्टीकरण—

(1) उपरोक्त वर्णित ऐसे वाहनों पर उक्त नियम प्रभावी नहीं होगा जिस वाहन को कोई व्यक्ति न चलने की अवस्था में अपने निजी भवन/भूमि पर खड़ा करता है।

(2) उपरोक्त वर्णित नियम किसी स्त्री,अस्वस्थ अथवा अपाहिज पुरुष को उतारने या बैठाने या किसी सामान को रखने व उतारने के लिये निर्धारित/स्थापित स्थान से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर थोड़े समय के लिये खड़ा करता है उस पर भी यह नियम प्रभावी नहीं होगा परन्तु शर्त यह है कि ऐसा वाहन किसी ऐसे स्थान पर नहीं खड़ा किया जायेगा जिससे आम रास्ते पर आवागमन में कोई रुकावट उत्पन्न होती हो।

4. कोई भी व्यक्ति अपने निजी भवन/भूमि पर नगर पंचायत की अनुज्ञा के बिना कोई स्टैण्ड/पार्किंग बनाकर आय अर्जित नहीं करेगा।

5. नगर पंचायत अपनी सीमा के अन्दर अलग-अलग वाहनों के लिये कोई एक या एक से अधिक स्थल निर्धारित करेगी जिसे वाहन के प्रचालित नाम के अनुसार स्टैण्ड (अड्डा) कहा जायेगा।

6. नगर पंचायत द्वारा स्थल/स्टैण्ड (अड्डा) पर वाहन खड़े करने के लिये निम्न प्रकार शुल्क लिया जायेगा।

रिक्शा	रु0 10/—
बैट्री रिक्शा/ऑटों	रु0 20/—
तांगा	रु0 10/—
छोटे चार पहिये के वाहन/टैम्पो	रु0 30/—
बड़े वाहन (बस, ट्रक, मैट्रडोर आदि)	रु0 100/—

उपरोक्त शुल्क समस्त वाहनों के लिये कुल एक दिन के लिये होगा तथा एक दिन की गणना रात्रि 12 बजे से प्रारम्भ होकर अगले दिन रात्रि 12 बजे तक होगी तथा इसमें कोई भी व्यक्ति अपने वाहन एक बार से अधिक बार भी खड़ा करता है तब उसका शुल्क केवल एक बार ही देय होगा।

7. उपरोक्त शुल्क का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में नगर पंचायत बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

8. नगर पंचायत के द्वारा स्टैण्ड (अड्डा) शुल्क वसूल करने हेतु बोर्ड/प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार एक या अधिक ठेके छोड़ें जायेगे परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका/ठेके न दे सकें तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकेगा।

9. ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्हीं कारणवश ठेका 1 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
10. ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है। जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।
11. ठेकेदार जिसे उपरोक्त स्टैण्ड (अड्डा) में शुल्क वसूली का ठेका दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा।
12. ठेके की अन्य शर्तें नगर पंचायत/प्रभारी अधिकारी के द्वारा निर्धारित की जायेगी।
13. ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया जायेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।
14. ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी स्टैण्ड (अड्डा) पर एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रतिदिन लाये गये वाहनों का विवरण व प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगर पंचायत में कम से कम 3 वर्षों के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।
15. नगर पंचायत के द्वारा स्थापित/स्वीकृत स्टैण्ड (अड्डा) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहन को खड़ा करके सवारी/समान उतारने चढ़ाने की स्थिति में (उपनियम 3 में दिये गये स्पष्टीकरणों के अतिरिक्त) नगर पंचायत को ऐसे वाहन के सम्बन्ध में जुर्माना करने का अधिकार होगा जो कि अधिकतम 1000/-रु० तक हो सकता है तथा यदि ऐसा कार्य एक अधिक बार किया जाये तब पूर्व के जुर्माने की राशि से दो गुना तक हो सकता है जुर्माने के सम्बन्ध में निर्णय नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत के द्वारा किया जायेगा।
16. नगर पंचायत द्वारा निर्धारित/निर्मित किये गये स्थल/स्टैण्ड (अड्डा) पर सफाई, मूत्रालय, शौचालय, यात्रियों के बैठने के शेड, कुर्सीयां आदि (जैसी भी आवश्यकता हो) एवं अन्य मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाई जायेगी।
17. नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगरपालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध हो ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. कोई व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी/अध्यासी हो भूमि अथवा भवन जो कि नगर पंचायत की सीमा के अन्दर हो का इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करके अन्य लोगों के वाहनों की व्यवसायिक पार्किंग के लिये करता है को अपने इस कार्य के लिये नगर पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक होगी जो कि निम्न प्रक्रिया के तहत दी जायेगी।
 - (1) अनुज्ञा (लाईसेन्स) लेने के लिये स्थल के स्वामी/अध्यासी को नगर पंचायत में अपने स्थल के स्वामित्व/अध्यासन से सम्बन्धि अभिलेख प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
 - (2) किसी अवैध कब्जेदार को इस उपविधि के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

- (3) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये स्वामी/अध्यासी को नगर पंचायत में यह विवरण देना होगा कि उसके भवन/भूमि में कितने वाहन और किस प्रकार के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है।
- (4) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये स्वामी/अध्यासी को नगर पंचायत में यह विवरण देना होगा कि उसके द्वारा अपने भवन/भूमि में वाहन खड़े करने के लिये कितना-कितना शुल्क वाहनों के लिये निर्धारित कर रखा है।
- (5) किसी ऐसे भवन/भूमि पर निजी व्यवसायिक पार्किंग निर्मित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जहां पर वाहनों के आने जाने के लिये मार्ग अपर्याप्त और संकरा हो और ऐसे स्थान पर हो जहां पर वाहनों के आने जाने में यातायात अवरुद्ध होता हो।
- (6) नगर पंचायत के द्वारा ऐसे भवन/भूमि पर निजी पार्किंग के लिये अनुज्ञा देने से पूर्व नगर पंचायत के कर्मचारी (जिसे नियत किया जाये) के द्वारा मौके का निरीक्षण किया जायेगा और उपरोक्त के सम्बन्ध में अपनी आख्या नगर पंचायत में दी जायेगी उससे सन्तुष्ट होने के पश्चात ही नगर पंचायत के द्वारा अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी—
 - (अ) अनुज्ञप्ति धारक अपने यहां खड़े होने वाले प्रत्येक वाहन का विवरण निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्टर में अंकित करेगा।
 - (ब) अनुज्ञप्ति धारक अपने यहां खड़े किये जाने वाले वाहनों के पंजीकरण के अभिलेख की छायाप्रति एवं वाहन स्वामी का फोटो व आई,डी, को अपने पास सुरक्षित रखेगा।
 - (स) अनुज्ञप्ति धारक अग्नि-शमन के पर्याप्त इन्तजाम रखेगा और अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त करेगा।
 - (द) अनुज्ञप्ति धारक की सुविधा के लिये गेट आदि लगाकर पर्याप्त इन्तजाम करेगा और यदि किसी वाहन में अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति के कारण से कोई हानि होती है तब उसकी जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति धारक की होगी नगर पंचायत का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
 - (य) अनुज्ञप्ति धारक किसी अवैध वाहन या वाहन में अवैध सामान को अपने यहां खड़ा नहीं करवायेगा और यदि उसकी जानकारी के बिना ऐसा कोई वाहन उसके स्थल पर खड़ा हो जाता है तब जानकारी होने पर पुलिस को इस सम्बन्ध में सूचित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति धारक की होगी।
 - (र) रात्रि में अनुज्ञप्ति व्यक्ति को कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी का प्रबन्ध करना होगा।
 - (ल) अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले शासन/प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा।
 - (स) अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति के द्वारा यदि किसी शर्त को भंग किया जाता है तब अनुज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

स्टीकरण: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें नगर पंचायत/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नियत की जा सकेंगी।

- (8) अनुज्ञप्ति प्रदान करने का शुल्क कम से कम ₹0 1000/—, प्रतिवर्ष या खड़े होने वाले वाहनों से प्राप्त वार्षिक शुल्क को 5 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) देय होगा।
- (9) अनुज्ञप्ति का शुल्क गृहकर/जलकर व अन्य देय करों के अतिरिक्त होगा।
- (10) अनुज्ञप्ति केवल एक वित्तीय वर्ष के लिये दी जायेगी तथा अगले वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के लिये वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व आवेदन करना होगा और नवीनीकरण पूर्व शर्तों व अन्य नई शर्तों (जो आरोपित की जाये) के अधीन होगा तथा नवीनीकरण शुल्क भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के शुल्क के बराबर ही होगा।

- (11) इस उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित करता है अथवा अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु हो जाती है अथवा वह कार्य करने योग्य ना रहता है तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके नाम अनुज्ञप्ति धारक को हस्तान्तरित करता है अथवा उसका उत्तराधिकारी हस्तान्तरण अथवा मृत्यु जैसी भी स्थिति हो 15 दिवस के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी से लिखित आवेदन करेगा, अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी ऐसा आवेदन की प्राप्ति के उपरान्त नियत शुल्क लेकर हस्तान्तरण/उत्तराधिकारी दर्ज करेगा।
- (12) उपनियम (11) के अन्तर्गत हस्तान्तरण की दशा अनुज्ञा शुल्क का $1/2$ होगा परन्तु उत्तराधिकार की दशा में शुल्क अनुज्ञा शुल्क का $1/4$ देय होगा।
- (13) जब भी कोई अनुज्ञप्ति व्यक्ति कार्य बन्द कर दे तो वह इसकी लिखित सूचना 15 दिवस के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को देगा जो इस उपविधि में किए गए प्राविधान के अनुसार इस प्रकार के कार्य बन्द करने की सूचना को रजिस्टर में अंकित करा देगा।
- (14) अनुज्ञा (लाईसेन्स) प्रदान करने के पश्चात भी नगर पंचायत अपने कर्मचारियों के माध्यम से निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करती रहेगी और कोई अनियमितता होने की स्थिति में निर्धारित समय से पूर्व अनुज्ञा (लाईसेन्स) निरस्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।
- (15) अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को किसी भी ऐसे अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा जो धोखे से प्राप्त किया गया हो परन्तु अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को निरस्त करने से पूर्व अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा, परन्तु अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को यह अधिकार होगा कि सुनवाई होने तक अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को स्थगित कर दे, परन्तु अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को अधिकतम 15 दिवस तक ही स्थगित करने का अधिकार अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को होगा, परन्तु यदि निर्धारित अवधि में अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स धारक के द्वारा अपना जवाब/स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तथा सुनवाई में देरी की जाती है तब 15 दिवस के पश्चात भी अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को स्थगित किया जा सकता है अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि ऐसे किसी भी प्रकरण में यथासम्भव 15 दिवस के अन्दर अपना निर्णय लें यदि उक्त अवधि के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तब उस कारण का पृष्ठांकन अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को करना आवश्यक होगा।
- (16) प्रत्येक अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स धारी) व्यक्ति को अनुज्ञा प्रदान करते समय अनुज्ञा-पत्र दिया जायेगा जिसपर वर्ष व लाईसेंस का नम्बर अंकित होगा अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को हर समय अनुज्ञप्ति व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर रखना अनिवार्य होगा।
- (17) यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये इस प्रकार का कार्य करता है, तब उसके विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही भी की जा सकती है और अनुज्ञा शुल्क का 10 गुना तक जुर्माना प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा जिसका निर्णय अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- (19) यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।
- (20) उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

मनोज कुमार,
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, खानपुर,
जनपद-बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत फूलपुर, प्रयागराज

10 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 217/न0पं0 फूलपुर/2025-26-इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 20/न0पं0 फूलपुर 2024-25 दिनांक 09.04.2025 को उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत फूलपुर द्वारा विज्ञापन कर निर्धारण एवं वसूली विनियमन उपविधि 2025 उपविधि नगर पंचायत फूलपुर-प्रयागराज द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन कर निर्धारण एवं वसूली विनियमन उपविधि 2025 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति समूह को आपत्ति सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त कर सकता है। तदक्रम में नगर पंचायत फूलपुर द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 05.04.2025 प्रस्ताव संख्या 04 (2) द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तदक्रम में दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 09.04.2025 एवं अमर उजाला दिनांक 09.04.2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2025 के प्रस्ताव संख्या 04 (2) के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

**“नगर पंचायत फूलपुर (प्रयागराज) विज्ञापन शुल्क का निर्धारण
एवं वसूली विनियमन उपविधि 2025”**

शासनादेश सं0 2399/ना-5-94-204 (जनरल) 90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत फूलपुर प्रयागराज पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत नगर पंचायत फूलपुर जनपद प्रयागराज में विज्ञापन कर निर्धारण एवं वसूली विनियमन उपविधि 2025 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

संक्षिप्त नाम

1— यह उपविधि नगर पंचायत फूलपुर, प्रयागराज “विज्ञापन शुल्क का निर्धारण एवं वसूली विनियमन उपविधि 2025” कही जायेगी।

2— यह नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत लागू होगी।

परिभाषाएँ—इस उपविधि में जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो—

1— अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 अथवा भविष्य में संशोधित अधिनियम से है।

2— बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत फूलपुर, प्रयागराज से है।

3— नगर पंचायत सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत फूलपुर, प्रयागराज की सीमा से है तथा भविष्य में जो सीमायें सम्मिलित मानी जायेगी।

4— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत फूलपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

5— विज्ञापन का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट साइन बोर्ड/डिजिटल एल0ई0डी0 स्क्रीन/पी0ए0 सिस्टम से है, जो विज्ञापन के लिए प्रचार-प्रसार हेतु नगर पंचायत द्वारा चिह्नित या स्थापित किये गये है।

6— व्यक्ति में वह सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य के लिये नियुक्त किये गये है तथा फर्म या कम्पनी का मालिक, स्थायी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबन्धक आदि एवं जिसके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

नियम व शर्तें—

1— अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक या अन्य प्राधिकारी के माध्यम से अभिलेख का रख-रखाव करायेंगे तथा स्वयं या अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी करेंगे।

2— कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत फूलपुर, प्रयागराज की सीमा के भीतर कोई भी विज्ञापन किसी स्थान, भवन अथवा वाहन पर अधिशासी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना न तो लगायेगा न लगवाने का अधिकारी होगा।

3— नगर पंचायत फूलपुर की सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन हेतु किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार लिखित रूप में आवेदन-पत्र निश्चित स्थान के स्पष्ट मानचित्र, प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री की दो प्रतियों, विज्ञापन का आकार तथा निर्धारित समयावधि के उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उसके विषय, भाषा, स्थान की उपयुक्तता आदि को देखते हुए नैतिक दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्ति जनक चरित्र की जांच करने के पश्चात नियमानुसार शुल्क जमा करा कर रु० 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कराते हुए नियम व शर्तों के अधीन लिखित रूप से आज्ञा प्रदान करेंगे।

4— अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दी गयी स्वीकृति को जनहित में अथवा अपरिहार्य कारणों से बिना पूर्व में सूचना के रद्द कर दे। ऐसी स्थिति में शुल्क या उसका यथोचित भाग वापस कर दिया जायेगा।

5— नगर पंचायत फूलपुर की सीमा के अन्तर्गत बिना अनुमति के विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को सम्बन्धित व्यक्ति के मूल्य, जोखिम और खर्च पर हटा दें और इस पर किया गया व्यय अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर ले जिसके द्वारा विज्ञापन लगाया गया था।

6— विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के भीतर हटायी गयी विज्ञापन सामग्री को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने विज्ञापन पट के विवरण सहित प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा विज्ञापन पट के आकार, प्रकार, मात्रा आदि को रखते हुए आरोपित जुर्माने को जमा करने की दशा में सामग्री सम्बन्धित व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

7— नगर पंचायत फूलपुर के सीमान्तर्गत किसी भी सरकारी साइन बोर्ड/पोस्टर/बैनर/यूनिपोल/साइनेज इत्यादि को अवैध तरीके से ढंका जाता है, तो ढकने वाले सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म पर आकार, प्रकार, मात्रा आदि को दृष्टिगत रखते हुए जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

8— विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्तर्गत हटायी गयी विज्ञापन सामग्री सम्बन्धित व्यक्ति यदि प्राप्त नहीं करता है तो अधिशासी अधिकारी इस सम्बन्ध में स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशन/सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके ऐसे विज्ञापन पटों व सम्बन्धित सामग्री को नीलाम कर सकता है।

9— इस उपविधि के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार किए जाने पर निम्न तालिका के अनुसार विज्ञापन स्थल शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

क्रम सं०	विज्ञापन का प्रकार	विज्ञापन शुल्क की दर (रु० में)
1	2	3
1	यूनिपोल (अधिकतम आकार 10 x 20 वर्ग फुट)	7.00 प्रति वर्ग फुट (मासिक)
2	यूनिपोल के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के विज्ञापन पट व साइन बोर्ड	5.00 प्रति वर्ग फुट (मासिक)
3	डिजिटल एल०ई०डी० स्क्रीन	50.00 प्रति घण्टा
4	पी०ए० सिस्टम/ध्वनि विस्तारक यन्त्र द्वारा प्रचार-प्रसार	10.00 प्रति घण्टा
5	चलते फिरते वाहनों पर विज्ञापन पट/साइन बोर्ड द्वारा प्रचार	20.00 प्रतिदिन
6	गुब्बारे/कैनोपी के माध्यम से प्रचार	200.00 प्रतिदिन

10— साइन बोर्ड/होर्डिंग/यूनिपोल आदि के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए तथा यातायात सड़क सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

11— यूनिपोल/साइन बोर्ड होर्डिंग को मजबूती से लगाये जाने का दायित्व सम्बन्धित अधिकृत व्यक्ति का होगा। उसके कारण होने वाले नुकसान व हर्जे खर्चे का दायित्व भी सम्बन्धित व्यक्ति का ही होगा।

12— इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित पर देय नहीं होगा—

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थानों के कार्यों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पाया जावे।

(ख) ऐसे साइन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान/मकान में होने वाले व्यवसाय का सूचक है एवं सम्बन्धित दुकान, मकान के ऊपर लगे है। उपरोक्त विषय में शर्त यह होगी कि इसके सम्बन्ध में पूर्व सूचना अधिशासी अधिकारी को देना अनिवार्य है। अधिशासी अधिकारी द्वारा ऐसे साइन बोर्ड के आकार एवं रंग सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं, जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा, जिसका खर्च व्यवसायी/दुकानदार द्वारा वहन किया जायेगा।

13 नगर पंचायत फूलपुर (प्रयागराज) यदि उचित समझे तो यूनिपोल व अन्य सभी प्रकार के विज्ञापन पट व साइन बोर्ड प्रदर्शन व शुल्क वसूली करने का वार्षिक ठेका सार्वजनिक बोली टेंडर अथवा सम्बन्धित से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार दे सकता है।

14— विज्ञापन हेतु ठेके की अवधि अधिशासी अधिकारी के विवेकाधीन अधिकतम तीन वर्ष की होगी।

15— ठेके की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी यदि उचित समझे तो पूर्व ठेकेदार का ठेका आवेदन-पत्र प्राप्त कर नवीनीकरण कर सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को प्रक्रियाधीन ठेका प्रदान कर सकता है।

16— भविष्य में यदि विज्ञापन संबंधित कोई नवाचार होता है, तो उक्त के सम्बन्ध में दिशा निर्देश एवं शुल्क तय करने का अधिकारी अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

स्पष्टीकरण—

1— इस उपविधि में विनिर्दिष्ट कर की दरों से अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित वार्षिक शुल्क की दरों, दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगी।

2— इस उपविधि में वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य प्राप्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में नगर पंचायत हित में कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म को मान्य करना होगा।

3— शुल्क अग्रिम रूप से देय होगा।

4— यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह या उससे कम है तो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फूलपुर (प्रयागराज) यह निर्देश दे सकता है कि शुल्क मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किस्त में दसूला जायेगा।

5— शुल्क के सभी अवशेष उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय छह के अनुसार वसूली योग्य होगा।

6— सभी प्रकार के विवादों पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत फूलपुर का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

अमर नाथ यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत फूलपुर,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विजय कुमार (VIJAI KUMAR) पुत्र चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव (CHANDRA PRAKASH SRIVASTAVA) है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे RELIANCE INDUS-TRIES LIMITED, FOLIO No-107569327 और 107569335 के शेयर में विजय कुमार श्रीवास्तव (VIJAI KUMAR SRIVASTAVA) पुत्र चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विजय कुमार (VIJAI KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विजय कुमार,
म0नं0 139/71,
बाघमरी हाउस, लोहिया पार्क,
अल्लापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ज्योति श्रीवास्तव (JYOTI SRIVASTAVA) पुत्री हरि मोहन श्रीवास्तव (HARI MOHAN SRIVASTAVA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे LARSEN & TURBO LIMITED, FOLIO No-09040234 और RELIANCE INDUSTRIES LIMITED FOLIO No-34334277 के शेयर में श्रीमती ज्योति (MRS JYOTI) पुत्री हरि मोहन श्रीवास्तव अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ज्योति श्रीवास्तव (JYOTI SRIVASTAVA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ज्योति श्रीवास्तव,
म0नं0 139/71,
बाघमरी हाउस, लोहिया पार्क,
अल्लापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुनील पुत्र सरजू है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8004 1168 5298 में मेरा नाम अनिल यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुनील पुत्र सरजू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनील,
ग्राम-सबलपुर सिलहाटा, पोस्ट-सराय भारती,
तहसील रसड़ा, जनपद बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राहुल पाल पुत्र राम सेवक पाल है, जो कि मेरे पैन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेन्स में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7296 0785 4783 में मेरा नाम रोहित कुमार पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राहुल पाल पुत्र राम सेवक पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राहुल पाल,
पुत्र राम सेवक पाल,
निवासी- 134ए/5, मीरापट्टी,
परगना व तहसील सदर,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अरुण कुमार पुत्र शिव कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6413 3847 9545 में उसका नाम अविनाश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में

मेरे पुत्र को उसके सही नाम अरुण कुमार पुत्र शिव कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव कुमार पुत्र कल्लू प्रसाद,
ग्राम गोपालपुर मड़गुड़ा,
पो0 व थाना विन्ध्याचल तहसील सदर,
जिला मीरजापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शुभ्रा अग्रवाल पुत्री नारायण अग्रवाल है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8254 3369 5827 में मेरा नाम शुग्रा अग्रवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शुभ्रा अग्रवाल पुत्री नारायण अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शुभ्रा अग्रवाल,
नि0 सी 33/78-के-1, वी0टी0सी0-छित्तूपुर,
पोस्ट-महमूरगंज, जिला वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जयंत जायसवाल (JAYANT JAISWAL) पुत्र अंकित जायसवाल (ANKIT JAISWAL) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5524 7536 5452 में उसका नाम जयंत (JAYANT) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जयंत जायसवाल (JAYANT JAISWAL) पुत्र अंकित जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंकित जायसवाल,
पुत्र प्रेम कृष्ण जायसवाल,
निवासी-50ए/40, सम्मेलन मार्ग,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश मौर्य (ANSH MAURYA) पुत्र रमेश कुमार मौर्य है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5252 7787 9978 में उसका नाम अमर मौर्य (AMAR MAURYA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश मौर्य (ANSH MAURYA) पुत्र रमेश कुमार मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रमेश कुमार मौर्य,
पता- कला का पुरा, सुभाष नगर बाजार,
संत रविदास नगर भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का शुद्ध नाम संदीप चन्द्र मोहन्तो है जो उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के प्रमाण पत्र सह अंक पत्र (अनुक्रमांक-5125787) वर्ष 2018 में मेरे पिता का नाम संदीप चन्द्र अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कल्याणी मोहन्तो पुत्री श्री संदीप चन्द्र मोहन्तो,
84/1 आर0जी0 विद्यांत रोड,
कटरा मकबूलगंज अमीनाबाद पार्क,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकांक्षा वर्मा पुत्री जयशंकर कुमार कुशवाहा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4973 6721 4867 में उसका नाम नयन वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकांक्षा वर्मा पुत्री जयशंकर कुमार कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जय शंकर कुमार कुशवाहा,
पता- भरपूर चुनार मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लल्लन दिवाकर पुत्र सीताराम है जो कि मेरे खतौनी, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3213 0208 5382 में मेरा नाम जयबीर सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लल्लन दिवाकर पुत्र सीताराम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लल्लन दिवाकर,
ग्राम मानपुर गजेन (कमसिया),
पोस्ट कहिंजरी ब्लाक व तहसील,
रसूलाबाद जिला कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दुर्गेश चन्द्र शुक्ल पुत्र कृष्ण चन्द्र शुक्ल है जो

कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7314 9653 6781 में मेरा नाम अमित कुमार शुक्ल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दुर्गेश चन्द्र शुक्ल पुत्र कृष्ण चन्द्र शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दुर्गेश चन्द्र शुक्ल, पुत्र कृष्ण चन्द्र शुक्ल,
निवासी- जामडीहशुक्ल, पोस्ट- लबनापार,
चनानी, बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिभव शुक्ला पुत्र सन्तोष कुमार शुक्ला है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अभिभव शुक्ला से बदलकर अभिनव शुक्ला रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अभिनव शुक्ला पुत्र सन्तोष कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सन्तोष कुमार शुक्ला,
पुत्र स्व0 बृजेन्द्र प्रसाद शुक्ला,
निवासी- 61-नजदीक प्राइमरी स्कूल,
सोतीपुर जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम कुमार है जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7571 6791 3687 में उसका नाम गोलू अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवम कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनील,
पुत्र श्री मैनेजर,
ग्राम डीघा जनूबी, पोस्ट सलेमपुर,
देवरिया उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षांश विश्वकर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2058 6847 1626 में उसका नाम हर्ष कुमार विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम अक्षांश विश्वकर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा,
पता- बदलावन का पुरवा बरई,
कुण्डा प्रतापगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5144 8695 6628 में उसका नाम सुशान्त सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धर्मेन्द्र सिंह सुत दुर्योधन सिंह,
निवासी देवरपट्टी पर० बिहार तहसील कुण्डा,
जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांग पुत्र प्रमोद कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०- 6040 0975 1544 में उसका नाम शिव पुत्र प्रमोद कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांग पुत्र प्रमोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनैना देवी पत्नी प्रमोद कुमार,
पता- वार्ड नं०-10, चुर्क नगर पंचायत,
तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कृष्ट पुत्र अशोक कुमार पटेल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-4999 5236 6390 में उसका नाम संघर्ष पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कृष्ट पुत्र अशोक कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रंजना पत्नी अशोक कुमार पटेल,
निवासी- ग्राम हरीडीह सोरांव प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री को सही नाम वान्या श्रीवास्तव पुत्री प्रदीप श्रीवास्तव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-9818 5231 9760 में उसका नाम पीहू श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वान्या श्रीवास्तव पुत्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजना श्रीवास्तव,
पत्नी प्रदीप श्रीवास्तव,
नि0— 48/25 पी0डी0 कीडगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिकेय पाण्डेय (KARTIKEY PANDEY) पुत्र प्रभात कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—6808 6031 0947 में उसका नाम त्रिजल पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिकेय पाण्डेय (KARTIKEY PANDEY) पुत्र प्रभात कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रभात कुमार पाण्डेय,
पुत्र अमरेश चन्द्र पाण्डेय,
नि0 187 गंगोत्री नगर इन्दलपुर रोड,
डांडी प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सावित्री देवी पत्नी समयदीन है जो कि मेरे खतौनी, निर्वाचन कार्ड तथा उपजिलाधिकरी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—2892 9660 8845 में मेरा नाम रामकली अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सावित्री देवी पत्नी समयदीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सावित्री देवी पत्नी समयदीन,
ग्राम खेमराजपुर, पोस्ट सलेमपुर,
तहसील हरैया, जनपद बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्याम संवारी पुत्री स्व0 रामेश्वर मौर्या है जो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाई स्कूल के पंजीकरण सं0—(0191560) में नाम गुड़िया मौर्या अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्याम संवारी पत्नी अमरीश कुमार मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्याम संवारी,
647/पी-18ए (ख-747),
कृष्णा विहार कालोनी, जानकीपुरम,
विस्तार, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राघवेन्द्र पाण्डेय पुत्र शैलेश कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—7412 0978 0391 में उसका नाम कृष्णा पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राघवेन्द्र पाण्डेय पुत्र शैलेश कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शैलेश कुमार पाण्डेय,
पुत्र स्व0 राम दुलारे पाण्डेय,
निवासी— ग्राम—कठैची, पोस्ट—धोबौली,
जिला—गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रमन त्रिपाठी पुत्र आलोक त्रिपाठी है

जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-9448 2657 7808 में उसका नाम सर्वज्ञ त्रिपाठी हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रमन त्रिपाठी पुत्र आलोक त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आलोक त्रिपाठी, पुत्र स्व० चन्द्रबली त्रिपाठी,
निवासी-ग्राम आराजी चेहरा, पो जिगना,
तहसील सदर जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कर्ष सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-7521 6698 3568 में उसका नाम अभिनव आनंद (Abhinav Anand) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कर्ष सिंह (Utkarsh Singh) पुत्र राम मिलन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राममिलन पुत्र राम केदार,
निवासी-ग्राम बड़ागांव पो० सराय मोहिउद्दीनपुर,
तहसील शाहगंज जिला जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम दूबे अर्चना देवी शशिकान्त पुत्री शशिकांत दूबे था जो मेरे सेकेन्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट में अंकित है विवाह के उपरान्त मैंने अपना नाम बदल कर अर्चना अलक्षेन्द्र तिवारी पत्नी अलक्षेन्द्र तिवारी रख लिया है जो मेरे आधार कार्ड पर व पैन कार्ड पर एवं वैवाहिक प्रमाण पत्र पर भी अंकित है। भविष्य में मुझे अर्चना अलक्षेन्द्र तिवारी पुत्री शशिकान्त दूबे पत्नी अलक्षेन्द्र तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दूबे अर्चना देवी, शशिकांत,
407 ग्राम लखेसर, शाहपुर,
जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गोपेश सिंह पुत्र श्यामेन्द्र सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार सं०-3505 8063 1876 में उसका नाम देवेश अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गोपेश सिंह पुत्र श्यामेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्यामेन्द्र सिंह, पुत्र राम प्रकाश सिंह,
निवासी- ग्राम पातोपुर पोस्ट-भरसेन
तहसील-औरैया, जिला औरैया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांश यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2085 1039 3458 में उसका नाम कान्हा अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश यादव पुत्र राजेश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश यादव,
पुत्र स्व० राम नारायण यादव,
ग्राम-बेल्डीहा, पोस्ट-सिसवाँ,
जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हिमानी वर्मा (HIMANI VERMA) पुत्री देवता दीन वर्मा है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9521 9347 1085 में मेरा नाम खुशबू वर्मा अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे सही नाम हिमानी वर्मा (HIMANI VERMA) पुत्री देवता दीन वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हिमानी वर्मा, पुत्री देवता दीन वर्मा,
पता- 12 सराय जमुआरी, सरसी डीह,
दरछुट, पट्टी, प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ऋषीश्वर प्रसाद तिवारी पुत्र कुटेश्वर नाथ तिवारी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7777 8449 4564 में मेरा नाम ऋषेश्वर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ऋषीश्वर प्रसाद तिवारी पुत्र कुटेश्वर नाथ तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ऋषीश्वर प्रसाद तिवारी,
पुत्र कुटेश्वर नाथ तिवारी,
ग्राम पनासा थाना व तहसील करछना,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कर्ष शुक्ला पुत्र पवन कुमार शुक्ला है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5804 9351 2919 में उसका

नाम दुर्गेश शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कर्ष शुक्ला पुत्र पवन कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पवन कुमार शुक्ला,
ग्राम डेबवा पोस्ट सेहरा, जलालपुर,
तहसील भीटी, थाना महरूआ,
जिला अम्बेडकर नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श यादव (ADARSH YADAV) पुत्र रामेन्द्र सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9841 8155 5740 में उसका नाम ईशू कुमार यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श यादव (ADARSH YADAV) पुत्र रामेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रामेन्द्र सिंह,
पुत्र स्व0 राम अवध सिंह यादव,
इब्राहिमपुर हेता पट्टी प्रयागराज, उ0प्र0।

NOTICE

It is confirmed that the correct name of my daughter is Sohani Mishra D/o Gopal Narayan which is mentioned in her educational records but in my daughter's aadhaar card number- 7241 6073 3644 her name has been wrongly mentioned as Pari Mishra. In future my daughter should be known by her correct name Sohani Mishra daughter of Gopal Narayan. It is

also hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Gopal Narayan S/o Devdatt Mishra,
Vill-Aila Post-Masuri,
Tehsil-Naraini Distt-Banda.

सूचना

मेसर्स जयदुर्गविजय कन्स्ट्रक्शन चक भाई खां पोस्ट चक इनामी तहसील सदर जिला आजमगढ़ की यह साझेदारी फर्म डीड दिनांक-22 अप्रैल, 2022 को लिखी गयी जिसमें दो साझेदार हैं। प्रथम साझेदार जयसिंह पुत्र फकीर चौहान जिनकी उम्र 40 वर्ष ग्राम कुंजी, पोस्ट पुनर्जी, जिला-आजमगढ़ है। द्वितीय साझेदार दुर्गविजय यादव पुत्र श्रीरामबली यादव उम्र 49 वर्ष ग्राम चक भाई खां, पोस्ट चकइनामी, जिला-आजमगढ़ है। दोनों पार्टनर थे। दिनांक-10 सितम्बर, 2025 को बलवन्त सिंह चौहान पुत्र स्व० रामकेवल चौहान ग्राम कुंजी पोस्ट पुनर्जी जिला आजमगढ़ सम्मिलित हो गये। दिनांक-10 सितम्बर, 2025 को दुर्गविजय यादव रिटायर्ड हो गये। वर्तमान में जयसिंह एवं बलवन्त सिंह चौहान साझेदार के रूप में हैं।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जयसिंह,

मे0 जयदुर्गविजय कन्स्ट्रक्शन,
ग्राम-चकभाई खां, पोस्ट-चक इनामी,
तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक हाउस पता बस स्टेशन रोड लखीमपुर खीरी 262701 से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार- श्रीमती माहेनूर खान एवं श्रीमती मनीषा अग्रवाल, साझेदार थे। दिनांक 01 जनवरी, 2024 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्रीमती मनीषा अग्रवाल, आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गयी है तथा इसी तिथि से श्री अल शिफत खान साझेदार के रूप में शामिल हो गये

हैं वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्रीमती माहेनूर खान एवं श्री अल शिफत खान साझेदार हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्रीमती माहेनूर खान,
साझेदार,
मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक हाउस,
पता- बस स्टेशन रोड लखीमपुर खीरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Spark Fibers 12-B Co-operative Industrial Estate, Dada Nagar Kanpur Nagar, 208022 & Office at 19 Industrial Estate Kanpur की साझेदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 07 फरवरी, 1994 को पंजीकरण सं० K-3219 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के अनुसार साझेदारी में श्री बी०एम० प्रहलादका, श्रीमती अर्चना प्रहलादका व श्री सूर्याश प्रहलादका साझेदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार साझेदारी से साझेदार श्री बी०एम० प्रहलादका की मृत्यु दिनांक 19 अप्रैल, 2020 को हो गयी थी। फर्म में अब श्रीमती अर्चना प्रहलादका व श्री सूर्याश प्रहलादका साझेदार हैं।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्रीमती अर्चना प्रहलादका
पार्टनर

M/s Spark Fibers,
12-B Co-operative Industrial Estate,
Dada Nagar Kanpur Nagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रितिका पटेल पुत्री श्री राजेश पटेल है

जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-5789 1466 4329 में उसका नाम रशिका पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रितिका पटेल पुत्री श्री राजेश पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश पटेल,
पता-बी 46/51, आदित्य नगर,
करौंदी, वाराणसी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-देहली बल्क कैरियर, पता- 133/139, ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर का साझेदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 20 फरवरी, 2018 को पंजीकरण सं० K-12500 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 05 सितम्बर, 2025 के अनुसार श्रीमती विनीत कौर को साझेदारी में शामिल किया गया है। अतः फर्म में अब श्री अरुण कुमार वाधवा, श्री हरीश कुमार वाधवा, श्री समनदीप सिंह व श्रीमती विनीत कौर साझेदार हैं।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरुण कुमार वाधवा,
पार्टनर,
मेसर्स-देहली बल्क कैरियर,
पता- 133/139, ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर।

सूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स छबि एडवर्टाइजिंग, सहारा इंडिया भवन-1, कपूरथला काम्प्लेक्स जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें दो साझेदार श्रीमती कुमकुम राय चौधरी एवं श्री अभिजीत सरकार साझेदार हैं दिनांक 01 अप्रैल, 2024

से श्रीमती कुमकुम राय चौधरी एवं श्री अभिजीत सरकार फर्म की साझेदारी से आपसी सहमति से अलग हो गये हैं जिससे फर्म विघटित हो गई है तथा साझेदारी विघटित विलेख दिनांक 06 अक्टूबर, 2024 को बनाई गई।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुमकुम राय चौधरी,
साझेदार,
510/144, आर0बी0एल0रोड,
न्यू हैदराबाद जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस सी-30/36-सी पलैट संख्या 02 विश्वनाथ अपार्टमेंट मलदहिया वाराणसी है।

मैं सुशील दुआ फर्म मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज का अधिकृत साझेदार होने की हैसियत से यह सूचना देता हूँ की श्री प्रवीण कुमार खन्ना पुत्र श्री प्रकाश चंद्र खन्ना निवासी सी0 30/36-सी0 मलदहिया वाराणसी उत्तर प्रदेश एवं श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री आत्माराम अग्रवाल निवासी प्लॉट नं 203, सेकेण्ड फ्लोर, फ्लोरा अपार्टमेंट 10 गुरुद्वारा रोड राजेन्द्र नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, फर्म त्रिलोचन इंडस्ट्रीज के साझेदार थे, जो दिनांक 01 जुलाई 2020 को फर्म को त्याग पत्र दिया है, तथा फर्म के सभी दायित्व एवं सम्बन्ध से मुक्त हो गए हैं, अब श्री प्रवीण कुमार खन्ना एवं श्री प्रदीप अग्रवाल जी का फर्म से कोई लेना देना नहीं है।

श्रीमती सविता खन्ना पत्नी श्री पंकज कुमार खन्ना निवासी सी0 30/36-सी0 मलदहिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, दिनांक 01 जुलाई 2020 से इस फर्म में बतौर पार्टनर साझेदारी विलेख में दिए गए शर्तों के अनुसार जुड़ गयी है।

अब फर्म मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज में चार साझेदार क्रमशः श्री सुशील दुआ, श्री संतोष कुमार गुप्ता, श्री दीपक चंद्रा, श्रीमती सविता खन्ना हैं।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्री सुशील दुआ
साझेदार,
मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवकरन शुक्ला (SHIVKARAN SHUKLA) पुत्र स्व० भगवानदीन शुक्ला (LATE BHAGWANDEEN SHUKLA) है जो जिलाधिकारी कानपुर द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट आख्या वोटर आई०डी०, गृहकर रसीद, परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-6052 4426 2623 में मेरा नाम छोटेलाल शुक्ला अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम शिवकरन शुक्ला पुत्र स्व० भगवानदीन शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवकरन शुक्ला, पुत्र स्व० भगवानदीन शुक्ला,
नि०- 115/147 मसवानपुर पो० रावतपुर,
जिला-कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित यादव पुत्र राकेश कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5855 3029 0923 में उसका नाम अर्पिता यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्पित यादव पुत्र राकेश कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजकुमारी,
पत्नी राजेश कुमार यादव,
नि०- तारडीह, पो० कनेहटी, तह० फूलपुर,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र का सही नाम शुभ सिंह पुत्र राम अवध सिंह है जो उसके विद्यालय प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-2633 7610 8935 में उसका नाम अंश सिंह गौर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शुभ सिंह पुत्र राम अवध सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम अवध सिंह, पुत्र विजय सिंह गौर,
निवासी-आई० 150 वर्ड बैंक बर्रा,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरा सही नाम मूल चन्द्र पुत्र राम सजीवन है जो मेरे जूनियर हाईस्कूल, निर्वाचन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, विद्युत बिल एवं ड्राइविंग लाईसेंस में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं०-5115 3044 7031 में मेरा नाम राजा सिंह अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मूल चन्द्र पुत्र राम सजीवन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मूल चन्द्र, पुत्र राम सजीवन,
निवासी— मंगोलपुर जैनपुर आई0ए0,
कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरा सही नाम विकास कटियार पुत्र अशोक कटियार है। जो मेरे पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0—7359 5212 3169 में मेरा नाम विशाल कटियार अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विकास कटियार पुत्र अशोक कटियार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विकास कटियार पुत्र अशोक कटियार,
निवासी वी0 212 डूडा कालोनी गंगागंज पनकी,
पंकबहादुर नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुहानी पुत्री संतोष कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 4155 6256 9001 में उसका नाम मेन्शी कुशवाहा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुहानी पुत्री संतोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

संतोष कुमार,
पता—मंडौर, जगतपुर (जैतपुर),
प्रयागराज, उ0प्र0—221505

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश कुमार पिता श्री राम अवध, निवासी सेक्टर 9B/95 वृन्दावन कॉलोनी, आवास विकास परिषद के पास रायबरेली रोड, लखनऊ—226029 यह घोषित करता हूं कि मेरा सही नाम मुकेश कुमार है जैसा कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में अंकित है। मेरी पुत्री मान्या विश्वकर्मा के कक्षा 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्र (क्रमांक 23232059) तथा आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा के रूप में गलत अंकित हो गया है।

मुकेश कुमार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रखर विश्वकर्मा पिता मुकेश कुमार, निवासी सेक्टर 9B/95 वृन्दावन कॉलोनी, आवास विकास परिषद कार्यालय के पास रायबरेली रोड, लखनऊ—226029 यह घोषित करता हूं कि मेरे पिता का सही नाम मुकेश कुमार है जैसा कि मेरे पिता के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। मेरे शैक्षणिक हाईस्कूल इण्टरमीडिएट के दस्तावेजों एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरे पिता का नाम मुकेश विश्वकर्मा जोकि गलत अंकित हो गया है जबकि सही नाम मुकेश कुमार है

प्रखर विश्वकर्मा

सूचना

फर्म मेसर्स—टूरेस्ट सर्जिकल, 1065 नौबस्ता कानपुर नगर में दिनांक 01.09.2025 को मि0 फिरोज आलम पुत्र मो0 युसुफ अंसारी नि0 133/16 केनाल रोड, रत्तपुरवा, कानपुर नगर एवं मि0 मोहम्मद फय्याज पुत्र मो0 युसुफ अंसारी नि0 केनाल रोड, रत्तपुरवा, कानपुर नगर रिटायर्ड हो गये हैं तथा श्रीमती रेशमा बानो पत्नी श्री अबु सहमा अंसारी नि0 केनाल रोड, रत्तपुरवा, कानपुर नगर एवं सानिया अंसारी पुत्री श्री अबु सहमा अंसारी नि0 केनाल रोड, रत्तपुरवा, कानपुर नगर भागीदार के रूप में

सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 01.09.2025 से श्री अबु सहमा अंसारी एवं श्रीमती रेशमा बानो एवं सानिया अंसारी पुत्री श्री अबु सहमा अंसारी नि0 केनाल रोड, रत्तपुरवा, कानपुर नगर पार्टनर है।

डी-33 ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-2, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध-नगर रहेगा।

अरुण कुमार
साझेदार।

अबु सहमा अंसारी
पार्टनर
फर्म मेसर्स-ट्रस्ट सर्जिकल,
1065 नौबस्ता कानपुर नगर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ए0एम0 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड एसोसिएट्स पता डी-33, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-2, नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0 की पार्टनर्स शिप डीड दिनांक 30.01.2015 को हुई थी, जिसके अनुसार इसमें दो साझेदार 1-अरुण कुमार, 2-मेघा कोतवाल थी। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 26.09.2025 के अनुसार फर्म के पुराने नाम ए0एम0 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड एसोसिएट्स में परिवर्तन कर बॉक्स वेल्थ प्लानर्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रख दिया गया, संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 26.09.2025 के अनुसार अब फर्म का नया नाम बॉक्स वेल्थ प्लानर्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पता

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अजलान अहमद (AZLAN AHMAD) पुत्र अफसार अहमद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पासपोर्ट सं0 W8771958 में मेरा नाम AZIAN AHMAD अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अजलान अहमद (AZLAN AHMAD) पुत्र अफसार अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त से सम्बन्ध विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अजलान अहमद
AZLAN AHMAD
पुत्र श्री अफसार अहमद
पता-238/45, पुरा फतेह
मोहम्मद, नैनी, प्रयागराज।